

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**IA NO. OF 2026**  
**IN**  
**OA 53/2026**

**IN THE MATTER OF:**

**NITIN SAXENA**

**.... APPLICANT**

**VERSUS**

**NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA & ORS**

**.... RESPONDENTS**

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>	<b>Annexure</b>
1.	Reply on behalf of the Applicant, to the IA No. /2026, filed by the Respondent no. 1, NHAI, along with an affidavit.	1-14	--
2.	The photograph showcasing the sufficient space available beside the road in dispute.	15-17	<b>Document I</b>
3.	The Minutes of meeting dated 12.12.2025.	18-24	<b>Document II</b>
4.	The copy of the detailed map showcasing the alternative road available.	25	<b>Document III</b>
5.	The copy of the said Bhopal Proposed Road Section under Bhopal Development Plan, 2005	26	<b>Document IV</b>
6.	The copy of the RTI application dated 26.12.2025, preferred by the applicant herein.	27	<b>Document V</b>
7.	The copy of the information received from the	28-101	<b>Document VI</b>

*Nitin Saxena*

	Nagar Nigam, Bhopal, vide letter dated 13.02.2026.		
6.	The copy of the news articles published in " <i>Dainik Bhaskar</i> " dated 25.12.2025, " <i>Dainik Jagran</i> " dated 25.12.2025 and " <i>Free Press</i> " dated 26.12.2025.	102-104	<b>Document VII</b>

Date: 21.02.2026

Place: New Delhi



**HARPREET SINGH GUPTA**

Counsel for Applicant

*NSaxne*

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**IA NO. OF 2026  
IN  
OA 53/2026**

**IN THE MATTER OF:**

**NITIN SAXENA**

**.... APPLICANT**

**VERSUS**

**NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA & ORS**

**.... RESPONDENTS**

**REPLY ON BEHALF OF THE APPLICATION SEEKING VACATION OF  
STAY**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

**• FACUAL BACKGROUND:**

1. That the captioned application has been filed by the Applicant herein and is pending adjudication before this Hon'ble Tribunal.
2. That the captioned matter was originally heard by the Hon'ble Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal, at Bhopal, under OA No. 100/2025. Pursuant to the grave concern involved in the said matter, the matter was referred to the Hon'ble Principal Bench at New Delhi, for its further consideration and is marked as OA 53/2026.
3. That the captioned matter was heard upon the mention memo filed by the applicant herein, in an open court on 22.12.2025, wherein the facts regarding

*N. Saxena*

the illegal felling of the trees done by the Respondents, were brought on record by the counsel of the applicant.

4. That considering the said facts, the Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal was pleased to strictly stay the felling of the trees till the next date of hearing. The counsel of the Respondent no. 1 was present at the last date of hearing and received the said directions issued by this Hon'ble Court.
5. That after the completion of all the formalities, the said order dated 22.12.2025, was uploaded on the online portal on 24.12.2025.
6. That pursuant to the said stay order dated 22.12.2025, the Respondent no. 1 herein, moved an application seeking recalling of the said order and vacation of stay, on 03.01.2026. The said stay application is pending adjudication before this Hon'ble Tribunal.

• **ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AND ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN HAS BEEN MALICIOUSLY ANTEDATED WHICH IS CLEAR FROM THE PHOTOGRAPHS ATTACHED IN IT**

7. That it is mandatory to highlight that, the Respondent No.1 (NHAI) has submitted the Environment Impact Assessment and Environment Management Plan, as Annexure R/1-1, along with its reply. The very first page of the said EIA&EMP (*Page 32 of the Reply dated 03.01.2026*), reflects the period of the formation of such plan as September 2025. To the contrary, the photograph attached along with it (*Page 43-45 of the Reply dated 03.01.2026*), showcasing the then current status of the existing road, reflects the date as 21.11.2025, which clearly means that the said EIA&EMP has been falsely antedated, i.e. September 2025, to deceive this Hon'ble

Tribunal and to fraudulently show that the necessary compliance had been done before beginning the process of felling the trees. It is the question of common parlance that how a report/plan prepared in September 2025 even can contain photographs which were captured in November 2025.

8. That the aforesaid actions of the Respondent No.1 clearly discloses their malafide intention to deceive this Hon'ble Tribunal by presenting the false facts, and to wrongfully seek the benefit of it by illegally felling the huge number of trees, without even complying with the basic requirements.
9. That the EIA Report presented by the Respondent no.1, itself clearly shows that the available alternatives have not been considered. The said fact is duly corroborated by the EIA Report presented by the Respondent no. 1. The Respondent no.1 itself in Chapter 6, Point 6.1 (***Page 94 of reply on respondent no.1, dated 02.01.2026; Page 64 of the said EIA report***) stated that they have not considered the alternatives in the project. The relevant contents of the said report is herein extracted below:

***“6.1 ALTERNATIVE ALIGNMENTS***

***In this project no alternatives were considered alignment due following reasons:***

- i. The existing road and the land covered under widening is already pre-acquired by the NHAI and no additional land is proposed to be acquired.*
- ii. This link road between NH-146 and NH-46 was constructed earlier based on the traffic density and other projections.*
- iii. Any fresh alignment for this project would require acquisition of good amount of land*

*N. Saxe*

*which would invite number of Environmental issues including land-use diversions with associated damages.*

- iv. While addressing the environmental and social issues for fresh alignment the cost of the project is escalated,*
- v. To avoid the acquisition of land and properties, the project envisages the development within as minimum RoW as possible.”*

10. That the Bhopal Master Plan proposes certain other roads to be constructed, which are not even considered and addressed by the Respondent no. 1. The consideration of the said already proposed road may mitigate the alleged urgent need to construct a whole new road.

11. That the aforesaid facts clearly showcase the malafide intentions of the Respondent no. 1, in order to deceive this Hon'ble Tribunal and wrongfully seek the benefit out of it.

- **THE VACATION OF STAY BEFORE THE FINAL DISPOSAL OF THE INSTANT ORIGINAL APPLICATION, POSES PERILOUS CONSEQUENCES, HAVING POTENTIAL ADVERSE AFFECTS ON THE STATE OF MADHYA PRADESH:**

12. That the applicant herein submits that if the said stay order dated 22.12.2025. passed by the Hon'ble Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal, be vacated, will give a free hand to the Respondents to cut the huge number of trees without even following the required conditions, which

will cause an irreparable harm to the environment, which cannot be recovered in next 100 odd years.

13. That the applicant herein further submits that if the said stay order dated 22.12.2025, passed by the Hon'ble Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal, be vacated, the whole OA will be rendered infructuous, as the whole cause of the said OA will be destroyed, before even the said OA finally decided by this Hon'ble Tribunal.

14. That the trees (which are proposed to be cut) are the oxygen banks for the people living in adjacent areas. The felling of such huge number of trees will directly create adverse impact on the health of people.

15. That the applicant herein submits that the vacation of stay order dated 22.12.2025, before finally hearing and disposing the matter accordingly on the merits, will render the whole purpose of the instant OA infructuous and will cause irreparable harm to the environment, which cannot be recovered in near future.

- **NO CONSIDERATION OF THE ALTERNATIVES AVAILABLE WHICH IS DIRECTLY IN TEETH OF THE BINDING JUDICIAL PRONOUNCEMENTS OF THIS TRIBUNAL AND OF THE HON'BLE APEX COURT**

16. That it is settled law that before cutting such huge number of trees for any developmental purpose(s), all the possible alternatives shall be considered. In this regard the reliance shall be placed upon the binding judicial pronouncement in *MC Mehta v. UOI, 1997 AIR SCW 552*. To the contrary, the Respondent no.1 herein, failed to consider the available alternatives, as indicated by the applicant herein in its Original Application.

17. That the Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal, vide its order dated 23.05.2025, in **OA 68/2025**, constituted an Centrally Empowered Committee to look into the permissions related to the felling of trees in State of Madhya Pradesh. The Hon'ble Central Zone Bench in para 17 (v) of its order dated 23.05.2025, directed the CEC to consider the alternatives available, before granting the permission to cut the trees. The contents of the said para 17 (v) of the order dated 23.05.2025, is herein extracted below:

*“Centrally Empowered Committee before granting the permission may also consider the alternate to the plan of cutting the trees which could necessitated felling of fewer number of trees or if option is available or not.”*

18. That the Respondent no.1 vehemently failed to address the contention regarding the sufficient space available adjacent to the Highway, which can be used as an alternative option for widening the road, which can reduce the number of trees to be fell for this purpose. The respondent no. 1 nowhere provided the substantial reason about the contention that why the aforesaid sufficient space (*Annexure A 27, Page number 107-109 in OA 100-2025*) cannot be used as alternative option. Under the aforesaid head, the respondent no.1 narrated about the permission granted by the High Level CEC, which also do not considered the alternative options available. The said fact can be clearly seen from the minutes of meeting dated 12.12.2025, placed on record by the Applicant herein, vide its IA 152-2025 (*Running Page Number 921-931, OA 100-2025*). The photograph showcasing the sufficient space available beside the road in dispute, is herewith annexed and marked as **Document I** and the minutes of meeting dated 12.12.2025 is

*N. Saxe*

herewith annexed and marked as **Document II**, for the ready reference of this Hon'ble Tribunal.

19. That the applicant herein submits that even without widening the said Highway in question, the traffic issue can be resolved by diverting the another road available. The replying respondent did not even address the said contention and only tried to confuse by stating other things. The said alternative road available is not even considered by the concerned respondents. The copy of the detailed map showcasing the alternative road available is herewith annexed and marked as **Document III**.

20. That it is further submitted that the existing road was constructed as per the Proposed Road Section in Bhopal Development Plan, 2005. The said Proposed Road Section highlights the design of the road, following which any road can be constructed in Bhopal City. The said proposed design the road (60m) can be seen in the Bhopal Proposed Road Section in Bhopal Development Plan 2005. In pursuance of the said Master Plan, near about 45,000 trees were planted around the Highway in question. Felling of such trees will directly violate the Road Section passed under the Bhopal Development Plan, 2005. The copy of the said Bhopal Proposed Road Section under Bhopal Development Plan, 2005 is herewith annexed and marked as **Document IV**.

21. That the present case exposes a complete absence of a monitoring and enforcement framework for ensuring compliance with the orders of this Hon'ble Tribunal and the conditions imposed by the CEC. Despite imposing extensive conditions relating to compensatory afforestation, satellite and drone monitoring, air quality management, waste disposal, fly ash usage, STP construction, public safety, and long-term plantation maintenance, no authority has been designated to verify, audit, or report compliance. This

regulatory vacuum renders compliance discretionary rather than mandatory and defeats the very purpose of judicial oversight in environmental governance.

- **PRESENTATION OF DISTORTED FACTS, WITH A MALAFIDE INTENTION TO DECEIVE THIS HON'BLE TRIBUNAL AND TO WRONGFULLY SEEK BENEFIT OUT OF IT:**

22. That at the outset, it is necessary to highlight that in the said application, the Respondent no.1 herein, presented the facts, with no factual background for the same. The Respondent no.1 in paragraph 4 of the said IA stated that it has filed an additional reply on 20.12.2025 which was record on the said date of hearing i.e. on 22.12.2025, before the Hon'ble Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal. It is respectfully submitted that the said reply alleged to be filed by the Respondent no.1 was neither supplied upon the applicant nor was on record before the Hon'ble Bench. The Respondent No.1 has falsely made the said averment in the instant IA. It is clarified that the Respondent no.1 may have e-filed the said additional reply, on 20.12.2025, but the same was not on record before the Hon'ble Bench on the date of hearing i.e. 22.12.2025. That in normal parlance, it takes two-five working days, for any newly filed document to undergo the scrutiny process and come on record before the Hon'ble Bench. Despite being aware of the said fact, bluntly stating that the said additional reply was on record before the Hon'ble Bench on 22.12.2025, is totally unfair and deceitful on part of the Respondent no.1.

23. That it is pertinent to note that the Central Zone Bench of this Hon'ble Tribunal, while passing the stay order dated 22.12.2025, has clearly stated in

para 7 of the said order, that *“Since the result of the minutes of meeting of the Centrally Empowered Committee has not been placed before us, we, therefore, direct that there shall be no cutting/felling of trees at the site in question till the next date of hearing.”* Had the said additional reply been on record before the Central Zone Bench of this Hon’ble Tribunal, it would have been considered by the Hon’ble Bench and there was no occasion for such a statement, which remained un-objected in open court.

24. That it is pertinent to note that the Ld. Counsel for the Respondent No.1 was present in the Courtroom, while the open-court hearing was taking place, on 22.12.2025. Had such confusion arose regarding the said additional reply filed by the Respondent no.1, it would have been clarified by the Ld. Counsel himself present in the court. But, no such clarification was given, despite the said order being verbally communicated in open court.

25. That the aforesaid facts makes it very clear that the Respondent No.1 has tried to present the distorted facts before this Hon’ble Tribunal, with a malafide intention to seek the vacation of stay, so that they can proceed with wrongful felling of huge number of trees at Ayodhya Bypass road, Bhopal.

**• CLEAR AND INTENTIONAL VIOLATION OF THE ORDER PASSED BY THIS HON’BLE TRIBUNAL IN OPEN COURT**

26. That it is submitted that despite the clear instructions issued by the Hon’ble Central Zone Bench of this Hon’ble Tribunal, on 22.12.2025, the Respondent No.1 kept cutting the tress until the said order was uploaded on the online portal on 24.12.2025, which is directly in teeth of the order of this Hon’ble Tribunal.

27. That the Respondents failed to comply with the order issued by this Hon'ble Tribunal and kept cutting the trees in ignorance of the order passed by this Hon'ble Tribunal, in an open court.
28. That it is estimated that near about 2,000 trees have been illegally cut by the Respondents, between the time of last hearing and the time when the said order was actually uploaded on the online portal of the Hon'ble NGT.
29. That the Applicant herein sought the information regarding the details of trees cut between 12.12.2025 and 25.12.2025. The applicant herein applied under RTI on 26.12.2025. The copy of the said application is herewith annexed and marked as **Document V**.
30. That replying upon the said RTI dated 26.12.2025, the concerned department issued the information confirming that 1569 have been cut by the Respondent No.1, from 12.12.2025. The information received from the RTI also confirms that the concerned supplier has supplied the petrol/diesel for cutting machine since 25.12.2025. The said information makes it very clear that the Respondent has continuously cut the trees till 25.12.2025, even after passing of the stay order in an open court on 22.12.2025. The copy of the said information received from RTI, dated 13.02.2026, is herewith annexed and marked as **Document VI**.
31. That it is further submitted that despite the stay order dated 22.12.2025, passed by the Hon'ble Central Bench of this Hon'ble Tribunal, the Respondent no.1 has removed the remaining tree stumps from the base leaving apart any possibility of future growth of such trees.
32. That the Respondents has cut numerous flourishing trees, by disobeying the instructions issued by this Hon'ble Tribunal, which has caused an irreparable harm to the environment, which cannot be even recovered in next 50 years. The aforesaid fact has been published by various newspapers including

*“Dainik Bhaskar”* dated 25.12.2025, *“Dainik Jagran”* dated 25.12.2025 and *“Free Press”* dated 26.12.2025. The copy of the said news articles are herewith annexed and marked as **Document VII**.

33. That it is humbly submitted that the trees cut by the Respondent No.1, after the instructions issued by this Hon’ble Tribunal in an open court, includes the flourished trees of PePAL, Banyan etc, which are much crucial for the environment.

34. That the said arbitrary action of the Respondent No.1 is clearly a mischievous act, which clearly shows that the Respondent No.1 took the wrongful advantage of the technical difficulty and arbitrarily disobeyed the instructions of this Hon’ble Tribunal given in an open court.

### **PRAYER**

Therefore, in light of the aforesaid facts and circumstances, this Hon’ble Tribunal may be graciously be pleased to:

1. Dismiss the said application seeking vacation of stay filed by the Respondent no.1, and uphold the stay order dated 22.12.2025, until the final disposal of the instant OA 53/2026.
2. Pass any other order(s) as this Hon’ble Tribunal may deem fit and proper in interest of Justice.

Date: 21.02.2026


Place: New Delhi



**HARPREET SINGH GUPTA**

Counsel for Applicant





**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, DELHI**

IA/ /2026

in

OA/53/2026

**APPLICANT: NITIN SAXENA**


**VERSUS**

**RESPONDENT: NHAI AND ORS.**

**AFFIDAVIT**

I, Nitin Saxena, S/o Lalta Prasad, aged 47 years, R/o A-509, Ashoka Garden, Bhopal, Madhya Pradesh 462001 do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:

1. That I am the Applicant in the instant Original Application and hence, competent to swear on this Affidavit.
2. That I am fully conversant with the facts of the present interlocutory application and the contents of it are true and correct to the best of my knowledge, belief and information and no material fact has been concealed therefrom.
3. That the annexures attached herewith are true copies of their respective originals and noting material has been concealed therefrom.



*Nitin Saxena*  
**DEPONENT**

**VERIFICATION**

I, the above-named Deponent, do hereby verify on this 21<sup>st</sup> day of February 2026 that the contents of Para 1 to 3 of the above affidavit are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.

*Nitin Saxena*  
**DEPONENT**

**SWORN BEFORE ME**

**DEPONENT BY** *Prince Dwivedi*  
**NAME** Prince Dwivedi  
**ADDRESS** Bhopal.

*[Signature]*  
**NOTARY PUBLIC** 21/2/2026  
Res. No MP.09/28/Bhopal/28/21B (T2) 2021  
Valid upto 26/12/2026



OnePlus 12

**HASSELBLAD**

● 23mm f/1.6 1/1851s ISO50



OnePlus 12

**HASSELBLAD**  
● 23mm f/1.6 1/2352s ISO50



OnePlus 12

**HASSELBLAD**  
● 23mm f/1.6 1/1981s ISO50

मध्यप्रदेश शासन,  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/45283765/2025/

भोपाल, दिनांक: 19/12/2025

//कार्यवाही विवरण//

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2025 को अपरान्ह 12:00 बजे, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में मान. एनजीटी के प्रकरण क्रमांक-68/2025 एवं मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम-2001 के संबंध में गठित High Level Centrally Empowered Committee की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। जिसमें संलग्न सूची परिशिष्ट-1 पृष्ठ क्रमांक-07 के अनुसार बैठक में सदस्य एवं संबंधित अधिकारी सम्मिलित हुये।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय एनजीटी के प्रकरण क्रमांक-68/2025 के आदेश दिनांक 23.05.2025 एवं 23.07.2025 एवं मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम-2001 के संबंध में चर्चा की गई। तत्पश्चात प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय NHAI, भोपाल के द्वारा आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तक सर्विस रोड सहित 6 लेन के निर्माण किये जाने हेतु वृक्षों की कटाई की अनुमति एवं संचालक (परियोजना), MPMRCL भोपाल द्वारा मेट्रो प्रोजेक्ट हेतु वृक्षों की कटाई की अनुमति के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में मुख्य विन्दु तथा समिति के निर्णय निम्नलिखित हैं:-

- (A) NHAI, भोपाल के आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तक सर्विस रोड सहित 6 लेन के निर्माण किये जाने हेतु वृक्षों की कटाई की अनुमति के संबंध में
1. प्रथम बैठक दिनांक 15.09.2025 में दिये गये सुझावों का अनुपालन कर एन.एच.ए.आई. द्वारा संशोधित प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया गया है। पिछली बैठक में समिति द्वारा अधिकतम वृक्षों को संरक्षित करने हेतु मीडियन की चौड़ाई एवं अन्य अनावश्यक संरचनाओं को अनिवार्य रूप से काटे जाने वाले वृक्षों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। समिति के निर्देशों के अनुपालन में एन.एच.ए.आई. द्वारा मीडियन की चौड़ाई 5 मीटर से 1.5 मीटर तक (आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तिराहे तक) की गई एवं कंकरीट यूटिलिटी डक्ट की व्यवस्था दोनों ओर से हटाई गई। प्रभावित वृक्षों की संख्या अब 9,888 से घटकर 7,871 हो गई है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण तथा 6 लेन के मद्देनजर इससे अधिक कमी संभव नहीं है। परियोजना के विकास हेतु 7,871 वृक्षों की कटाई आवश्यक है। कटने वाले वृक्षों में 5,188 टिंबर वृक्ष (सागौन, शीशम, साखू, महुआ, देवदार, आम और नीम शामिल हैं) तथा 2,683 गैर-टिंबर वृक्ष (वांस, केले इत्यादि) सम्मिलित हैं।
  2. प्रतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत एन.एच.ए.आई. द्वारा कटित वृक्षों की संख्या से 10 गुना से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। एन.एच.ए.आई. द्वारा परियोजना मार्ग के दोनों तरफ 10000 वृक्ष (आशाराम तिराहा से रत्नागिरी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ) तथा समीपस्थ क्षेत्रों झिरनिया एवं झगरियाखुर्द में 70,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। उपरोक्त कार्य के लिए राजस्व विभाग से 85 हेक्टेयर भूमि के लिए एनओसी प्राप्त कर ली गई है। राजस्व आदेश क्रमांक 02237/बी121/25-26 सर्किल-2 तहसील हुजूर भोपाल की प्रति संलग्न है।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल तथा संख्या का विवरण निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित है:-

क्र.	वृक्षारोपण स्थल का नाम	तहसील व जिला का नाम	प्रस्तावित वृक्षों की संख्या	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियाँ
1	झिरनिया	हुजूर जिला भोपाल	58,000	पीपल, नीम, उमर, अर्जुन, काला शीशम, शीशम, बरगद, गूलर, सफेद सिरिस, काला सिरिस, सतपर्णी, कचनार, पाकर, अमलतास, पलाश, कदम्ब, करंज, आम, बाँस, महुआ इत्यादि व अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।
2	झागरिया खुर्द	हुजूर जिला भोपाल	12,000	
कुल			70,000	
3	(राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 146 पर आशाराम तिराहा से रत्नागिरी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ)	गोविंदपुरा एवं वैरागढ जिला भोपाल	10,000	
कुल			10,000	
4	भोपाल नगर निगम में स्थित पार्क	चिनार, एकांक, स्मार्ट सिटी, मयूर, स्वर्ण जयंती इत्यादि	न्यूनतम 1000 वृक्ष और स्थल उपलब्धता के अनुसार	

3. एन.एच.ए.आई. द्वारा NABET (National Accreditation Board for Education and Training) मान्यता प्राप्त एजेंसी से तैयार EIA (Environmental Impact Assessment) रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना निर्माण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण के परिणामस्वरूप CO<sub>2</sub> तथा PM<sub>2.5</sub> एवं PM<sub>10</sub> उत्सर्जन में कमी होगी। CO<sub>2</sub> अवग्रहण एवं ऑक्सीजन उत्पादन की मात्रा वर्ष 2029 तक वर्तमान स्तर के बराबर हो जाएगी।
4. एन.एच.ए.आई. द्वारा संशोधित EIA (Environmental Impact Assessment) रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें समस्त विसंगतियों में सुधार किया गया तथा पर्यावरण मानकों का पालन प्रतिवेदन किया गया।
5. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी के द्वारा समिति के सदस्यों द्वारा को यह उल्लेख किया गया कि उक्त परियोजना के विकास से न केवल (करोड़, पीपुल्स मॉल एवं रत्नागिरी) ब्लैकस्पॉट समाप्त होंगे और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। तथा आपातकालीन सेवाओं में आवागमन की सुविधा होगी।

समिति द्वारा अयोध्या नगर वायुपास परियोजना के विकास हेतु 7,871 वृक्षों की कटाई की अनुमति की अनुसंधान निम्न शर्तों के साथ की जाती है।

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी के द्वारा 7871 वृक्षों की कटाई के एवज में 10 गुना से भी ज्यादा 80 हजार पौधे उल्लेखित स्थलों पर लगाया जाना सुनिश्चित करना है। यदि Rare/Threatened Species का वृक्ष मिलता है तो उसकी प्रतिस्थापना की जाये।
2. मानसून प्रारम्भ होने से पूर्व सभी 80,000 पौधे लगाने के संबंध में आवश्यक तैयारी (गड्डे खाद्य, मिट्टी आदि) पूर्ण की जाकर मानसून प्रारम्भ होते ही पौधे लगाने का कार्य एक साथ संपन्न किए जाए। पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 6 फीट होना अनिवार्य होगी एवं Hybrid Annuity Model (HAM) के अनुसार 15 वर्षों

तक पौधों के संरक्षण तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी एनएचएआई की होगी। मृत/क्षतिग्रस्त पौधों का तत्काल प्रतिस्थापन सुनिश्चित किया जाएगा तथा जीवितता के आकड़े की संधारित किये जायेंगे। Satellite Imagery व Drone Videography भी कराई जायेगी। कांटेक्टर का भुगतान वृक्षों की जीवितता से बाध रहेगा।

3. वृक्ष कटाई के दौरान किसी भी पक्षी के गिरने, घायल होने अथवा घोंसलों को क्षति की आशंका की स्थिति में उनकी सुरक्षा, देखभाल एवं संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु एन.एच.ए.आई. द्वारा किसी प्रतिष्ठित एनजीओ/कम्पनी का सहयोग लिया जा सकता है।
4. MPPCB द्वारा अयोध्या बायपास के निकट स्थापित Air Quality Monitoring System के माध्यम से प्रदूषण की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की असामान्यता की स्थिति में बोर्ड द्वारा संबंधित सुधारात्मक सुझाव के साथ एनएचएआई को सूचित किया जायेगा, जिनका अनुपालन तत्काल एनएचएआई द्वारा किया जाएगा।
5. एन.एच.ए.आई. द्वारा इस परियोजना एवं भोपाल के आसपास की अन्य परियोजनाओं में नगर पालिक निगम, भोपाल के अधिकतम Inert Material का उपयोग सड़क निर्माण में किया जायें।
6. एन.एच.ए.आई. द्वारा परियोजना में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है तो शहरी क्षेत्र में वायुप्रदूषण की संभावना न उत्पन्न हो तथा उसके उपयोग के समय पर्यावरणीय गार्डडलाइंस का अनुपालन किया जाये। और इसकी विस्तृत योजना बनाकर इसकी निगरानी सुनिश्चित की जाये।
7. परियोजना के क्रियान्वयन में समीप स्थित STP के तकनीकी मानकों के अनुसार एन.एच.ए.आई. द्वारा भोपाल में स्थित Sewage Treatment Plants से प्राप्त शोधित जल का उपयोग किया जाये।
8. वर्तमान सड़क से प्राप्त खुदाई वाले मटेरियल का पूर्णतः उपयोग उसी सड़क निर्माण कार्यों में किया जाएगा, शहर के अन्य स्थान पर उक्त मटेरियल को नहीं डालेंगे।

(B) मेट्रो प्रोजेक्ट हेतु वृक्षों की कटाई की अनुमति के संबंध में

1. भदभदा से रत्नागिरी संरेखण हेतु 487 वृक्षों तथा भूमिगत खंड के कट-एंड-कवर-1 एवं रैम्प (भारत टॉकीज़ के सामने पातरा पुल) व आरा मशीन परिसर के पीछे स्थित क्षेत्र हेतु 181 वृक्षों, कुल 668 वृक्षों की कटाई अनुमति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(a) मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण हेतु वृक्षों को हटाने की आवश्यकता- मेट्रो रेल परियोजनाएँ प्रायः नगरीय क्षेत्र में रोड मीडियन के ऊपर या समानांतर निर्मित की जाती हैं। फलस्वरूप, सड़क के मीडियन में स्थित वृक्ष, निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष बाधा उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें हटाना आवश्यक हो जाता है। भोपाल मेट्रो परियोजना की ब्लू लाइन (भदभदा से रत्नागिरी तिराहा) के रोड मीडियन पर 67 वृक्ष स्थित हैं जिन्हें मेट्रो ढाँचे के निर्माण हेतु हटाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मेट्रो परियोजना निर्माण पश्चात मीडियन की आवश्यक चौड़ाई तथा निर्माण के दौरान आवश्यक राइट ऑफ वे (ROW) को ध्यान में रखते हुए, मेट्रो रेल कार्पोरेशन (MPMRCL) द्वारा ROW को 10 मीटर से घटाकर 9 मीटर अनुकूलन (Optimize) किया गया है। इस अनुकूलन (Optimize) के परिणामस्वरूप पूर्व में ऑकलित 667 वृक्षों में से 180 वृक्ष संरक्षित हो गये तथा अब कुल 487 वृक्षों को ही हटाने की आवश्यकता शेष है।



इसी प्रकार, भूमिगत मेट्रो निर्माण हेतु टीवीएम (Tunnel Boring Machine) के प्रवेश/निकास के लिए आवश्यक कट-एंड-कवर-1 कार्य क्षेत्र (पातरा पुल एवं आरा मशीन परिसर) में लगभग 27,513 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित 181 वृक्ष प्रभावित होंगे। इस प्रकार वर्तमान निर्माणाधीन कार्या — ब्लू लाइन (भदभदा-रत्नागिरि) तथा भूमिगत कट-एंड-कवर क्षेत्र — दोनों को मिलाकर कुल 668 वृक्षों को हटाया जाना आवश्यक है।

(b) प्रभावित वृक्षों का विवरण- कुल 668 प्रभावित वृक्षों में से 588 वृक्षों का girth 30 सेमी से अधिक है तथा 80 वृक्षों का girth 30 सेमी से कम है। प्रभावित वृक्षों में मुख्यतः करंज, नीम, कैसिया सियामिया, नीलगिरी, शीशम, वदनीम, अंकोला, कनेर आदि प्रजातियाँ शामिल हैं।

(c) प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation)- मेट्रो रेल परियोजना से अतक प्रभावित वृक्षों के विरुद्ध वी.एच.ई.एल. परिसर, गाँधीनगर श्मशान, चंदनपुरा, बोरवन एवं दामखेडा क्षेत्रों में नीम, करंज, पीपल, शीशम, आँवला, जामुन, इमली, कैसिया सियामिया, गुलमोहर एवं अकैसिया सहित विभिन्न प्रजातियों के 10200 पौधे रोपे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त मेट्रो निर्माण कार्य में संलग्न एजेंसियों/हितधारकों (Stakeholders) द्वारा 3553 पौधों का रोपण किया गया है। वर्तमान में प्रस्तावित 668 वृक्षों को हटाने के प्रतिपूरक रूप में 6680 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं पौधों के संरक्षण तथा रख रखाव हेतु अनुमानित राशि नगर पालिक निगम, भोपाल को कार्यालय में जमा कराई जायेगी। साथ ही, मेट्रो रेल डिपो परिसर में 10,015 वृक्षों के रोपण की योजना प्रस्तावित है। प्रस्तावित प्रजातियों में मुख्यतः नीम, कदंब, शीशम, कचनार, करंज आदि शामिल हैं।

(d) वृक्षों के रख-रखाव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Satellite Imaging व Drone Videography भी सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त के संबंध में समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश एवं सुझाव प्रदान किए गए:—

- प्रतिपूरक वृक्षारोपण में ताड़ (Palm) प्रजाति को पूर्णतः हटाते हुए महुआ, नीम एवं अन्य देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए।
- घास के लॉन क्षेत्र को न्यूनतम रखा जाए तथा उपलब्ध भूमि पर अधिकतम वृक्षारोपण घनत्व सुनिश्चित किया जाए।
- मेट्रो परियोजना निर्माण स्थलों पर नियमित वायु गुणवत्ता निगरानी अनिवार्यतः की जाए, ताकि निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न धूल एवं प्रदूषण न्यूनतम रहे तथा विशेषकर शीतकालीन मौसम में प्रदूषण स्तर में वृद्धि न हो। यह निगरानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के दिशानिर्देशों के अनुरूप की जाए। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाये गये Air Quality मॉनिटरिंग सेंटर के आंकड़े नियमित रूप से समिति को उपलब्ध किये जायें।
- जहाँ संभव हो, वर्टिकल गार्डन/जैव विविधता पार्क विकसित किए जाएँ तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता एवं सौंदर्य वृद्धि हेतु इनडोर पौधों की संख्या बढ़ाई जाए।
- Curtain wall to prevent dust from center pillar and be increase to reduce pollution.

3. शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के दृष्टिगत समिति ने निम्न शर्तों के साथ अनुमति की अनुसंशा करती है:-

- (a) MPMRCL सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।
- (b) निर्माण स्थलों की नियमित पर्यावरणीय तथा वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग की जाएगी।
- (c) प्रतिपूरक वृक्षारोपण की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित अवधि में समिति/विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (d) प्रतिपूरक वृक्षारोपण 6680 पौधों की राशि नगर पालिक निगम, भोपाल को 15 वर्ष के रख-रखाव की राशि जमा की जायेगी।
- (e) उक्त प्रतिपूरक वृक्षारोपण की राशि का उपयोग संचालनालय/नगर पालिक निगम, भोपाल के द्वारा उसी मद में व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. समिति के द्वारा उपरोक्त दोनों प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये:-

- I. माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्रमांक-68/2025 के आदेश दिनांक 23.05.2025 एवं 23.07.2025 एवं मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के नियमों व शर्तों की अनुपालना किया जाना है।
- II. NHAI एवं MPMRCL के द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) हेतु समिति को Undertaking दी जायेगी अथवा प्रतिपूरक वृक्षारोपण की राशि संचालनालय/नगर पालिक निगम, भोपाल को जमा की जायेगी।
- III. कटाई एवं प्रतिपूरक वृक्षारोपण के कार्य का 15 वर्षों तक पौधों के संरक्षण तथा रख-रखाव की निगरानी संचालनालय में तकनीकी ग्रीन समिति (वन विभाग/नगर निगम/उद्यानिकी एवं मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी) गठित कर उसके माध्यम व परामर्श से किया जायेगा।
- IV. मध्यप्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना क्षेत्र में AQI Monitoring Unit लगाई जाये।
- V. केवल स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण किये जायें।
- VI. वृक्ष पातन केवल दिन के समय एवं सुरक्षा का पूर्ण मानकों का पालन किया जाये।
- VII. वृक्ष पातन के दौरान समस्त पर्यावरणीय गाईडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. वृक्ष पातन के दौरान किसी भी तरह की शासकीय/अशासकीय सम्पतियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि होती है तो NHAI/METRO की जिम्मेदारी होगी।
- IX. वृक्ष पातन के दौरान किसी भी जनहानि के लिए NHAI/METRO की जिम्मेदारी होगी।



- X. वृक्ष पातन के दौरान स्थानीय समुदाय व आवागमन में कोई समस्या/परेशानी नहीं होनी चाहिए।
- XI. उपरोक्त समस्त शर्तों की अनुपालना नहीं होने पर अनुमति स्वतः ही रद्द मानी जायेगी।
- XII. This will be subject to the outcome of writ petition No. 42565 dated 20.11.2025. All compliance as asked by the Hon'ble High Court from time to time shall have to be complied by NHA.

अंत में बैठक सह धन्यवाद के साथ समाप्त की गई।

अपर मुख्य सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,

पृ.क्रमांक/ / 2025/14201  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक: 12/12/2025

1. अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, संचालनालय, उद्यानिकी विभाग, भोपाल।
3. प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल का.लि. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. सचिव, वन विभाग, म.प्र. शासन अथवा संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, म.प्र.।
5. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल, म.प्र. की ओर दोनों परियोजनाओं की अनुमति का आदेश जारी करने की कार्यवाही हेतु।
7. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
9. आंचलिक निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, भोपाल।
10. आंचलिक निदेशक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, भोपाल।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
12. कार्यालय रिकॉर्ड प्रतिलिपि।

आयुक्त

नगरीय प्रशासन एवं विकास  
भोपाल, मध्यप्रदेश।

परिशिष्ट-1  
संलग्न सूची

Directorate Urban Development & Administration  
Meeting Regarding amendment in MP Vrikshon ka Parikshan Adhiniyam  
Dated 19-11-2025 ①


Attendance Sheet

Sr. No.	Name of Officer	Name of Post	Name of Department/ULB	Telephone/Mobile No.	Email ID	Signature
1	A.K. GUPTA	DP(EO) MP&RCL	MP&RCL	7389693930	ajay.gupta@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
2	Y.C. SHARMA	Asst. Comm. MP&RCL	MP&RCL	9425007969	yc.sharma@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
3	S.H.M. ZAINI	Asst. Comm. MP&RCL	MP&RCL	922641767	s.h.m.zaini@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
4	Ranjeet Kumar	Asst. Comm.	MP&RCL	8803088888	ranjeet.kumar@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
5	Chaital Sharma	Asst. Comm. MP&RCL	MP&RCL	9803082088	chaital.sharma@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
6	Sunil Kumar	Asst. Comm. MP&RCL	MP&RCL	9617007250	sunil.kumar@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
7	Deepak Arora	EO, EPCO	Environment	9479788800		<i>[Signature]</i>
8	S. K. Singh	RO, NHAI, Bhopal	RO, NHAI	9818396230	rohitgopal.singh	<i>[Signature]</i>
9	H.S. Kushwah	Dep. Comm	Nagar Nigam Bhopal	9407212365		<i>[Signature]</i>
10	Alexis Charles	Manager, NHAI	NHAI	9085731347	alexis.charles@nhai.org	<i>[Signature]</i>
11	Piyush Gupta	Manager, NHAI	MP&RCL	7982876765	piyush.gupta@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
12	Arjun Sharma	Asst. Comm. NHAI	NHAI	9410936422	arjun.sharma@nhai.org	<i>[Signature]</i>
13	K.S. K. Rao	Asst. Comm.	Horticulture	926920257	ksk.rao@nhai.org	<i>[Signature]</i>
14	Dr. Rajesh Prasad	Asst. Comm.	MP&RCL	9755039331	rajesh.prasad@mp&rcl.in	<i>[Signature]</i>
15						

Directorate Urban Development & Administration  
Meeting Regarding amendment in MP Vrikshon ka Parikshan Adhiniyam  
Dated 19-11-2025 ②


Attendance Sheet

Sr. No.	Name of Officer	Name of Post	Name of Department/ULB	Telephone/Mobile No.	Email ID	Signature
1	Mohammed H.S.	Asst. Comm.	Forest	9405740134	muhammad.h.s@nhai.org	<i>[Signature]</i>
2	S.K. Singh					
3		Comm. BRC				
4		Comm. UDDO				
5		Asst. Comm. UDHD				
6						
7						
8						



# Bhopal Proposed Road Section

# भोपाल प्रस्तावित मार्ग सेक्शन



NOTATIONS

CV	CENTRAL VERGE
CW	CARRIAGE WAY
D	DRAIN
GV	GREEN VERGE
FP	FOOT PATH
CT	CYCLE TRACK
SR	SERVICE ROAD
U	ULTIMATE
I	IMMEDIATE
BR	BERM

NOTE  
THE POSITION OF LIGHT & OTHER FIXTURES FOR DIFFERENT ROADS SHALL BE GIVEN DURING THE ACTUAL CONSTRUCTION OF ROADS

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन


1. आवेदक का नाम:- श्री नितिन सक्सेना (सामाजिक कार्यकर्ता)
2. पता:- ए-509 अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.)
3. दूरभाष क्रमांक:- 9617666944
4. ई-मेल पता:- [nitinsaxena0578@gmail.com](mailto:nitinsaxena0578@gmail.com)
5. आवेदन देने का दिनांक:- 26/12/2025
6. कार्यालय का नाम:- लोक सूचना अधिकारी आयुक्त एवं वृक्ष अधिकारी कार्यालय उद्यान विभाग नगर निगम भोपाल (म.प्र.)

- 1) ग्राह दिसंबर 2025 में आसाराम तिराहे से रत्नागिरी तिराहे तक 6 लेन सड़क निर्माण हेतु दिनांक 12 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक काटे गये पेड़ों के संबंध में वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या सहित जानकारी प्रदान करें
- 2) उपरोक्त अनुसार काटे गये वृक्षों की लकड़ी को (स्टोर/डिपो) में जमा कराने संबंधी सहित जानकारी प्रदान करें
- 3) उपरोक्त अनुसार पेड़ कटाई में लगाये अमले (शासकीय/ प्रायवेट) संबंधी जानकारी प्रदान करें
- 4) उपरोक्त अनुसार पेड़ों की कटाई हेतु उपयोग में लाये गये मैन पावर, मशीनरी, कटर गशीन, परिवहन, पेट्रोल/डीजल आदि की जानकारी प्रदान करें
- 5) उपरोक्त अनुसार आयुक्त एवं वृक्ष अधिकारी नगर निगम भोपाल द्वारा लगभग 7,871 वृक्षों की कटाई अनुमति में उल्लेखित प्रभारी वृक्ष कटाई के अलावा अन्य किन-किन कर्मचारियों को सहयोग हेतु (संलग्न) किया गया नाम, पद सहित जानकारी प्रदान करें

नोट:- कृपया लोक सूचना अधिकारी उद्यान विभाग 50 पृष्ठ तक की वांछित जानकारी बिना अवलोकन के बिंदुवार सःशुल्क प्रदान करने का कष्ट करें।

7. क्या चाहते हैं नकल / परीक्षण/ रिकार्ड निरीक्षण /रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना- रिकार्ड निरीक्षण पश्चात रिकार्ड की सत्यापित / प्रमाणित प्रति।
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस की फीस रूपये 10/ नगद/ स्टॉम्प (बी.पी.एल सूची क्रं./ सदस्य को देय नहीं) पोस्टल आर्डर नं. .... मूल्य..... रसीद क्रं..... दिनांक...../...../2025
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे हैं .....हैं/नहीं

26/12/25  
लोक सूचना कार्यालय  
नगर निगम, भोपाल  
आवेदन प्राप्ति की दिनांक.....

हस्ताक्षर  
  
(आवेदनकर्ता)



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल  
(उद्यान विभाग)

आचार्य नरेन्द्रदेव पुस्तकालय कमला पार्क, भोपाल  
ईमेल- gardenbmc01@gmail.com

क्रमांक.....11.0.2../उ.वि./2026  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13 /02/2026

श्री नितिन सक्सेना  
ए-509, अशोका गार्डन भोपाल।  
मोबाईल नं. 9827666944

विषय :- दिसम्बर 2025 में आसाराम तिराहे से रत्नागिरी तिराहे तक 6 लेन सडक निर्माण हेतु दिनांक 12.12.2025 से 25.12.2025 तक काटे गये पेडों के संबंध में वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या के संबंध में बिंदु कं 01 से 05 तक की जानकारी चाही गई है।

संदर्भ :- लोकसूचना कार्यालय का पत्र 3094 दिनांक 31.12.2025 के संबंध में।

\*\*\*\*\*

विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के तारतम्य में आपके द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई जानकारी कुल 75 पृष्ठों की थी। जो नियमानुसार 2/-रूपये प्रति पृष्ठ की दर से 75 X 02 = 150 रूपये शुल्क नगर निगम कोषालय में जमा करा दिया गया है।

अतः चाही गई जानकारी की सत्यापित छायाप्रति संलग्न आपकी ओर प्रेषित है।

(हीरेन्द्र सिंह कुश्वाह)  
उपायुक्त एवं लोकसूचना अधिकारी  
उद्यान विभाग  
नगर निगम, भोपाल


पृ.क.- 1103../उ.वि./2026  
प्रतिलिपि :-


भोपाल दिनांक- / /2026

(1) प्र.उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी नगर निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त एवं लोकसूचना अधिकारी  
उद्यान विभाग  
नगर निगम, भोपाल


Sr.No.	TreeLocalName	Girth(cm)	Remark
1	सप्तपर्णी	32	
2	सप्तपर्णी	44	
3	सप्तपर्णी	64	
4	सप्तपर्णी	78	
5	सप्तपर्णी	60	
6	सप्तपर्णी	50	
7	सप्तपर्णी	32	
8	बैर	42	
9	सप्तपर्णी	36	
10	सप्तपर्णी	34	
11	बैर	116	
12	बैर	50	
13	बैर	100	
14	नीम	86	
15	बबूल	106	
16	बबूल	60	
17	गुलमोहर	40	
18	चिरोल	60	
19	जंगलजलेबी	40	
20	शीशम	46	
21	शीशम	38	
22	शीशम	56	
23	शीशम	46	
24	खाकर	32	
25	शीशम	46	

  
 सुश्री ममता बर्महें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल

  
 सुश्री ममता बर्महें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल


26	शीशम	1406	
27	शीशम	56	
28	शीशम	64	
29	बबूल	62	
30	शीशम	44	
31	शीशम	42	
32	शीशम	60	
33	बबूल	44	
34	बबूल	34	
35	शीशम	44	
36	शीशम	40	
37	शीशम	166	
38	शीशम	60	
39	शीशम	80	
40	शीशम	170	
41	शीशम	80	
42	शीशम	88	
43	शीशम	180	
44	शीशम	160	
45	नीलिगरी	104	
46	शीशम	64	
47	करंज	32	
48	शीशम	72	
49	शीशम	52	
50	शीशम	34	
51	सतपरणी	42	
52	सतपरणी	60	
53	करंज	40	

  
 सुश्री मनीषा ब्रम्हें  
 सहायक सज्जन अधीक्षक  
 नगर निगम, भापाल

  
 सुश्री मनीषा ब्रम्हें  
 सहायक सज्जन अधीक्षक  
 नगर निगम, भापाल


54	शीशम	1407	
55	खाकर	40	
56	शीशम	40	
57	कनेर	62	
58	करंज	62	
59	शीशम	66	
60	कनेर	42	
61	बबूल	86	
62	नीम	60	
63	करंज	70	
64	करंज	50	
65	शीशम	100	
66	शीशम	94	
67	सप्तपर्णी	38	
68	सप्तपर्णी	40	
69	कनेर	40	
70	सप्तपर्णी	56	
71	कनेर	32	
72	कनेर	60	
73	शीशम	58	
74	चिरोल	46	
75	सप्तपर्णी	36	
76	सप्तपर्णी	34	
77	सप्तपर्णी	40	
78	सप्तपर्णी	48	
79	सप्तपर्णी	64	
80	सप्तपर्णी	46	
81	सप्तपर्णी	48	

  
 सुश्री ममता बर्महें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाळ

  
 सुश्री ममता बर्महें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाळ

82	सप्तपर्णी	40	1408
83	कनेर	32	
84	सप्तपर्णी	58	
85	सप्तपर्णी	60	
86	सप्तपर्णी	60	
87	सप्तपर्णी	58	
88	सप्तपर्णी	70	
89	सप्तपर्णी	66	
90	सप्तपर्णी	44	
91	कनेर	34	
92	कनेर	40	
93	नीम	30	
94	सप्तपर्णी	30	
95	केसिया	32	
96	करंज	46	
97	सप्तपर्णी	58	
98	केसिया	36	
99	शीशम	78	
100	कनेर	36	
101	शीशम	90	
102	करंज	62	
103	करंज	46	
104	कनेर	104	
105	करंज	78	
106	सतपरणी	30	
107	करंज	50	
108	सप्तपर्णी	38	
109	सप्तपर्णी	50	

  
 सुश्री मंगला ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, गांधुल

  
 सुश्री मंगला ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, गांधुल

110	सप्तपर्णी	50	
111	सप्तपर्णी	42	
112	सप्तपर्णी	30	
113	कनेर	34	
114	पीपल	62	
115	गोदी	80	
116	शीशम	106	
117	बबूल	62	
118	बबूल	72	
119	नीम	86	
120	बबूल	30	
121	करंज	54	
122	करंज	82	
123	चिरोल	32	
124	चिरोल	30	
125	कनेर	36	
126	नीम	64	
127	करंज	32	
128	कनेर	34	
129	करंज	40	
130	पीपल	60	
131	पीपल	54	
132	पीपल	42	
133	कनेर	34	
134	पीपल	52	
135	पीपल	60	
136	लसोड़ा	60	
137	लसोड़ा	34	

(5)


सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, थापुल


सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, थापुल

(6)

(6)

138	लसोड़ा	1410	
139	पीपल	54	
140	करंज	32	
141	कनेर	34	
142	करंज	34	
143	कनेर	36	
144	कनेर	38	
145	कनेर	46	
146	नीम	100	
147	नीम	72	
148	करंज	42	
149	बबूल	84	
150	शीशम	46	
151	शीशम	34	
152	नीम	118	
153	शीशम	34	
154	नीम	66	
155	गुलमोहर	30	
156	बहेड़ा	54	
157	करंज	34	
158	गुलमोहर	50	
159	केसिया	68	
160	गुलमोहर	32	
161	केसिया	36	
162	केसिया	56	
163	गुलमोहर	30	
164	बबूल	40	
165	बबूल	40	

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल


166	बबूल	40	
167	कनेर	32	
168	करंज	42	
169	करंज	38	
170	करंज	36	
171	करंज	40	
172	करंज	44	
173	करंज	56	
174	करंज	40	
175	खाकर	30	
176	सेमल	66	
177	सेमल	42	
178	खाकर	76	
179	गुलमोहर	90	
180	करंज	56	
181	करंज	50	
182	करंज	42	
183	करंज	44	
184	नीलिगरी	112	
185	टिकोमा	32	
186	टिकोमा	32	
187	चिरोल	36	
188	चिरोल	36	
189	कनेर	36	
190	सेमल	56	
191	टिकोमा	34	
192	पाखर	30	
193	सतपरणी	52	


  
 सुश्री ममता ब्रम्ह  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल

  
 सुश्री ममता ब्रम्ह  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल

9

194	सतपरणी	44	
195	कनेर	32	
196	सतपरणी	30	
197	सतपरणी	46	
198	कनेर	56	
199	कनेर	32	
200	कनेर	34	
201	गुलमोहर	70	
202	गुलमोहर	78	
203	गुलमोहर	60	
204	करंज	32	
205	करंज	32	
206	करंज	44	
207	करंज	32	
208	करंज	34	
209	करंज	40	
210	करंज	36	
211	सतपरणी	50	
212	करंज	50	
213	करंज	36	
214	सतपरणी	48	
215	करंज	70	
216	करंज	34	
217	करंज	44	
218	करंज	60	
219	सतपरणी	40	
220	सतपरणी	56	
221	केसिया	90	

  
 सुश्री ममता ग्रंथें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भापाल

  
 सुश्री ममता ग्रंथें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक

222	केसिया	56	
223	बबूल	114	
224	बबूल	110	
225	बबूल	96	
226	बबूल	112	
227	बबूल	44	
228	केसिया	56	
229	खाकर	54	
230	आंवला	70	
231	केसिया	80	
232	अमलताश	30	
233	मुनगा	122	
234	आंवला	76	
235	सतपरणी	46	
236	आंवला	44	
237	बबूल	100	
238	बबूल	148	
239	नीम	56	
240	नीम	32	
241	बबूल	124	
242	केसिया	68	
243	केसिया	112	
244	केसिया	128	
245	केसिया	50	
246	केसिया	140	
247	जामुन	80	
248	केसिया	156	
249	केसिया	150	

सुश्री मंगला प्रसाद  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भांझूल

सुश्री मंगला प्रसाद  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम

(10)

250	पल्टाफार्म	70	
251	पल्टाफार्म	66	
252	पल्टाफार्म	94	
253	केसिया	150	
254	केसिया	100	
255	केसिया	56	
256	केसिया	150	
257	पल्टाफार्म	76	
258	पल्टाफार्म	118	
259	पल्टाफार्म	98	
260	पल्टाफार्म	108	
261	पल्टाफार्म	114	
262	पल्टाफार्म	136	
263	बबूल	98	
264	नीम	52	
265	पल्टाफार्म	54	
266	खाकर	66	
267	पल्टाफार्म	130	
268	पल्टाफार्म	70	
269	पल्टाफार्म	114	
270	पल्टाफार्म	126	
271	केसिया	52	
272	करंज	60	
273	शीशम	128	
274	शीशम	84	
275	शीशम	86	
276	शीशम	112	
277	शीशम	66	

सुश्री ममता ब्रह्म  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
राज्य उद्यान विभाग

सुश्री ममता ब्रह्म  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
राज्य उद्यान विभाग

278	शीशम	56	
279	शीशम	112	
280	शीशम	96	
281	शीशम	60	
282	शीशम	128	
283	शीशम	86	
284	शीशम	56	
285	नीम	58	
286	शीशम	46	
287	नीम	30	
288	नीम	114	
289	नीम	130	
290	बबूल	56	
291	नीम	150	
292	जंगलजलेबी	80	
293	नीम	96	
294	नीम	116	
295	बरगद	140	
296	बबूल	88	
297	शीशम	92	
298	पीपल	30	
299	बबूल	80	
300	नीम	100	
301	नीम	38	
302	नीम	40	
303	नीम	36	
304	मुनगा	86	
305	नीम	36	

सुश्री ममता ब्रम्ह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भापुल

सुश्री ममता ब्रम्ह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भापुल

(12)

306	नीम	1416	
307	बरगद	90	
308	नीम	118	
309	सेमल	102	
310	नीम	80	
311	पीपल	168	
312	नीम	68	
313	चिरोल	140	
314	जंगलजलेबी	138	
315	केसिया	32	
316	बबूल	60	
317	सेमल	76	
318	केसिया	66	
319	सेमल	98	
320	बबूल	66	
321	केसिया	86	
322	कनेर	32	
323	केसिया	34	
324	केसिया	68	
325	कनेर	34	
326	चिरोल	30	
327	चिरोल	42	
328	चिरोल	46	
329	कनेर	34	
330	पल्टाफार्म	44	
331	कनेर	40	
332	पल्टाफार्म	64	
333	कनेर	48	

(2)

सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, माण्डवी


सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, माण्डवी


334	कनेर	32	
335	कनेर	38	
336	कनेर	32	
337	कनेर	36	
338	कनेर	34	
339	बबूल	78	
340	पल्टाफार्म	64	
341	पल्टाफार्म	72	
342	पल्टाफार्म	32	
343	बबूल	118	
344	बबूल	58	
345	पल्टाफार्म	52	
346	पल्टाफार्म	34	
347	खाकर	38	
348	खाकर	36	
349	खाकर	36	
350	बबूल	86	
351	पल्टाफार्म	58	
352	पल्टाफार्म	68	
353	पल्टाफार्म	88	
354	खाकर	38	
355	पल्टाफार्म	62	
356	पल्टाफार्म	46	
357	पल्टाफार्म	56	
358	बबूल	90	
359	गुलमोहर	76	
360	बबूल	66	
361	खाकर	36	

सुश्री ममता बर्मह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भापाल

सुश्री ममता बर्मह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भापाल

362	पल्टाफार्म	32	
363	पल्टाफार्म	44	
364	पल्टाफार्म	76	
365	पल्टाफार्म	56	
366	पल्टाफार्म	34	
367	पल्टाफार्म	46	
368	गुलमोहर	96	
369	गुलमोहर	54	
370	पल्टाफार्म	96	
371	पल्टाफार्म	96	
372	पल्टाफार्म	80	
373	गुलमोहर	122	
374	पल्टाफार्म	74	
375	पल्टाफार्म	68	
376	पल्टाफार्म	40	
377	केसिया	52	
378	बबूल	84	
379	बबूल	40	
380	पल्टाफार्म	56	
381	पल्टाफार्म	60	
382	बबूल	36	
383	बबूल	36	
384	करंज	40	
385	पल्टाफार्म	80	
386	पल्टाफार्म	50	
387	पल्टाफार्म	70	
388	गुलमोहर	96	
389	करंज	36	

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक सचिव अधीक्षक  
 नगर विद्यालय

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक सचिव अधीक्षक  
 नगर विद्यालय

390	गुलमोहर	90	
391	गुलमोहर	70	
392	गुलमोहर	150	
393	गुलमोहर	138	
394	गुलमोहर	76	
395	गुलमोहर	64	
396	गुलमोहर	56	
397	गुलमोहर	34	
398	गुलमोहर	90	
399	गुलमोहर	160	
400	करंज	32	
401	खाकर	82	
402	नीम	56	
403	गुलमोहर	124	
404	पल्टाफार्म	86	
405	पल्टाफार्म	88	
406	गुलमोहर	104	
407	गुलमोहर	110	
408	शीशम	56	
409	शीशम	60	
410	करंज	84	
411	करंज	40	
412	कचनार	86	
413	कचनार	100	
414	गुलमोहर	60	
415	गुलमोहर	112	
416	पल्टाफार्म	80	
417	गुलमोहर	90	

सुजा निता ब...  
सहायक र... जन अधीक्षक  
नार निदम, भापाल

सुजा निता ब...  
सहायक र... जन अधीक्षक  
नार निदम, भापाल

(16)

418	शीशम	100	
419	शीशम	110	
420	कनेर	46	
421	करंज	34	
422	बैर	70	
423	नीम	112	
424	कनेर	46	
425	शीशम	170	
426	कनेर	40	
427	कनेर	60	
428	गुलमोहर	82	
429	केसिया	86	
430	केसिया	32	
431	केसिया	56	
432	केसिया	60	
433	केसिया	60	
434	केसिया	50	
435	केसिया	76	
436	गुलमोहर	50	
437	केसियासा.	56	
438	शीशम	96	
439	केसिया	100	
440	शीशम	100	
441	सतपरणी	60	
442	करंज	70	
443	शीशम	80	
444	शीशम	84	
445	शीशम	30	

सुश्री ममला ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भांगपुल

सुश्री ममला ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भांगपुल

446	करंज	80	
447	करंज	100	
448	गुलमोहर	94	
449	गुलमोहर	38	
450	करंज	36	
451	गुलमोहर	76	
452	गुलमोहर	160	
453	टिकोमा	96	
454	गुलमोहर	72	
455	टिकोमा	32	
456	गुलमोहर	120	
457	करंज	34	
458	गुलमोहर	62	
459	बबूल	80	
460	बबूल	76	
461	बबूल	70	
462	गुलमोहर	76	
463	गुलमोहर	92	
464	गुलमोहर	104	
465	गुलमोहर	122	
466	बबूल	104	
467	केसिया	106	
468	गुलमोहर	90	
469	गुलमोहर	68	
470	नीम	42	
471	गुलमोहर	116	
472	बबूल	80	
473	करंज	32	

सहायक उपायुक्त अन्न एवं पशु  
कार विभाग, भागलपुर

सुश्री गणेशी प्रमो  
सहायक उपायुक्त अन्न एवं पशु  
कार विभाग, भागलपुर

474	करंज	34	
475	खाकर	84	
476	सेमल	90	
477	बबूल	44	
478	बबूल	66	
479	करंज	66	
480	बबूल	84	
481	गुलमोहर	134	
482	बबूल	76	
483	सेमल	92	
484	बबूल	68	
485	बबूल	110	
486	गुलमोहर	108	
487	सेमल	78	
488	टिकोमा	36	
489	गुलमोहर	72	
490	गुलमोहर	66	
491	गुलमोहर	86	
492	गुलमोहर	82	
493	केसिया	88	
494	गुलमोहर	34	
495	गुलमोहर	110	
496	गुलमोहर	40	
497	केसिया	140	
498	गुलमोहर	80	
499	गुलमोहर	78	
500	केसिया	90	
501	केसिया	80	

सुश्री गमता ब्रम्हें  
सहायक सचिव अधीक्षक  
नगर निगम, नापुल


सुश्री गमता ब्रम्हें  
सहायक सचिव अधीक्षक  
नगर निगम, नापुल

502	केसिया	90	
503	केसिया	76	
504	केसिया	70	
505	कोहा	38	
506	पलटाफार्म	54	
507	पलटाफार्म	60	
508	पलटाफार्म	46	
509	पलटाफार्म	82	
510	पलटाफार्म	66	
511	केसिया	56	
512	केसिया	38	
513	केसिया	44	
514	केसिया	40	
515	केसिया	56	
516	गुलमोहर	60	
517	केसिया	80	
518	केसिया	70	
519	बबूल	78	
520	केसियासा.	50	
521	बबूल	70	
522	केसियासा.	60	
523	केसिया	64	
524	बबूल	60	
525	बबूल	46	
526	बबूल	100	
527	बबूल	36	
528	करंज	46	
529	बबूल	70	

MS b  
सुशी ममता ग्रुप  
सहायक संचालक अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

MS  
सुशी ममता ग्रुप  
सहायक संचालक अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

530	करंज	64	
531	करंज	64	
532	करंज	32	
533	बबूल	110	
534	सेमल	56	
535	बबूल	84	
536	बबूल	86	
537	करंज	40	
538	करंज	40	
539	केसिया	42	
540	केसिया	40	
541	केसिया	46	
542	करंज	64	
543	करंज	40	
544	केसिया	40	
545	केसिया	60	
546	केसिया	44	
547	केसिया	46	
548	केसिया	44	
549	बबूल	90	
550	बबूल	104	
551	शीशम	70	
552	केसिया	90	
553	नीम	90	
554	करंज	42	
555	बबूल	80	
556	टिकोमा	42	
557	टिकोमा	110	


  
 पुत्री विमला  
 सहायक सहाय आभिक  
 नगर विद्यालय, ...

558	शीशम	38	
559	करंज	34	
560	शीशम	180	
561	करंज	56	
562	शीशम	114	
563	शीशम	150	
564	करंज	70	
565	शीशम	110	
566	बादाम	42	
567	मुनगा	56	
568	चांदनी	40	
569	शीशम	50	
570	शीशम	38	
571	शीशम	86	
572	शीशम	96	
573	शीशम	100	
574	पाम	78	
575	पाम	74	
576	शीशम	116	
577	नीम	56	
578	नीम	94	
579	पीपल	108	
580	करंज	40	
581	नीलिगरी	74	
582	नीलिगरी	76	
583	नीम	80	
584	अमरूद	40	
585	अमरूद	36	

(21)

सुश्री ममता ब्रम्ह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
सहयुक्त उद्यान अधीक्षक

सुश्री ममता ब्रम्ह  
सहायक उद्यान अधीक्षक

586	नीम	56	
587	शीशम	310	
588	कदम	146	
589	टिकोमा	56	
590	गुलमोहर	86	
591	पाम	250	
592	पाम	260	
593	पाम	270	
594	बोगनबेलिया	30	
595	बोगनबेलिया	32	
596	पलटाफार्म	86	
597	पलटाफार्म	40	
598	पलटाफार्म	56	
599	करंज	36	
600	गुलमोहर	220	
601	करंज	38	
602	करंज	60	
603	सप्तपर्णी	94	
604	सप्तपर्णी	86	
605	अशोक	90	
606	गुलतुरी	136	
607	बबूल	76	
608	बबूल	80	
609	बेल	50	
610	गुलमोहर	40	
611	कनेर	32	
612	करंज	36	
613	करंज	38	


सुश्री ममता ब्रह्म  
सहायक सहाय अजीकाक  
सहायक सहाय अजीकाक


सुश्री ममता ब्रह्म  
सहायक सहाय अजीकाक

1427


23


614	मुनगा	46	
615	पीपल	48	
616	गुलमोहर	110	
617	कनेर	38	
618	कनेर	38	
619	पलटाफार्म	98	
620	गुलमोहर	108	
621	जामुन	30	
622	जामुन	40	
623	शीशम	30	
624	कदम	100	
625	कनेर	36	
626	बबूल	60	
627	बबूल	56	
628	बबूल	60	
629	बबूल	56	
630	करंज	34	
631	बबूल	140	
632	सप्तपर्णी	150	
633	सप्तपर्णी	160	
634	सेमल	150	
635	बबूल	120	
636	बादाम	48	
637	सप्तपर्णी	36	
638	सतपरणी	36	
639	सप्तपर्णी	36	
640	बबूल	36	
641	बबूल	70	

  
 सुश्री ममता ब्रह्म  
 सहायक उपायुक्त


  
 सुश्री ममता ब्रह्म  
 सहायक उपायुक्त-अधीक्षक  
 नगर विकास विभाग

642	बबूल	1428	
643	बबूल	110	
644	बबूल	56	
645	बबूल	70	
646	बबूल	80	
647	पीपल	104	
648	शीशम	76	
649	सप्तपर्णी	100	
650	बबूल	130	
651	बबूल	90	
652	पाखर	114	
653	सीरस	190	
654	सप्तपर्णी	46	
655	बबूल	134	
656	बबूल	136	
657	शीशम	36	
658	शीशम	80	
659	शीशम	76	
660	शीशम	86	
661	बबूल	116	
662	बबूल	144	
663	बबूल	50	
664	टिकोमा	40	
665	नीम	34	
666	बबूल	34	
667	बबूल	40	
668	बबूल	46	
669	नीम	70	

  
 सुश्री नर्मदा ब्रह्म  
 सहायक उपयान आ पीठाल  
 नगर निगम, भोपाल

  
 सुश्री नर्मदा ब्रह्म  
 सहायक उपयान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल

670	नीम	1429	
671	बबूल	110	
672	बबूल	160	
673	बबूल	120	
674	बबूल	130	
675	बबूल	80	
676	बबूल	130	
677	टिकोमा	260	
678	सप्तपर्णी	60	
679	बबूल	200	
680	बबूल	260	
681	बबूल	110	
682	बबूल	100	
683	बबूल	100	
684	नीलिगरी	110	
685	नीलिगरी	120	
686	शीशम	60	
687	कोहा	100	
688	बबूल	80	
689	कोहा	160	
690	केसिया	200	
691	केसिया	180	
692	बबूल	160	
693	बबूल	180	
694	केसिया	114	
695	केसिया	150	
696	शीशम	56	
697	शीशम	166	

 सुशी भमता ब्रम्हें  
 सुशी भमता ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक नगर निगम, भोपाल

698	केसिया	1430	
699	केसिया	210	
700	केसिया	140	
701	केसिया	210	
702	नीलिगरी	110	
703	चिरोल	100	
704	चिरोल	130	
705	चिरोल	100	
706	चिरोल	138	
707	चिरोल	100	
708	चिरोल	70	
709	केसिया	100	
710	केसिया	106	
711	केसिया	110	
712	केसिया	110	
713	केसिया	100	
714	केसिया	96	
715	केसिया	98	
716	केसिया	136	
717	केसिया	110	
718	केसिया	180	
719	केसिया	136	
720	केसिया	180	
721	नीलिगरी	250	
722	शीशम	70	
723	गुलमोहर	200	
724	सप्तपर्णी	36	
725	कोहा	110	


6

सुश्री गनता ब्रम्हें  
सहायक उत्तान अधीक्षक  
नगर विभाग, गांधीपल

सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उत्तान अधीक्षक

726	शीशम	1431	
727	शीशम	100	
728	शीशम	96	
729	शीशम	120	
730	शीशम	100	
731	शीशम	110	
732	शीशम	208	
733	शीशम	118	
734	शीशम	190	
735	शीशम	160	
736	शीशम	196	
737	शीशम	190	
738	शीशम	120	
739	नीलिगरी	110	
740	नीलिगरी	118	
741	नीलिगरी	180	
742	नीलिगरी	116	
743	नीलिगरी	112	
744	नीलिगरी	140	
745	नीलिगरी	180	
746	नीम	180	
747	नीम	100	
748	केसिया	56	
749	केसिया	66	
750	केसिया	40	
751	केसिया	56	
752	केसिया	60	
753	केसिया	80	

(27)


  
 सुश्री ममता ब्रम्ह  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, भोपाल

754	केसिया	1432	
755	केसिया	66	
756	बबूल	130	
757	बबूल	160	
758	बबूल	150	
759	बबूल	160	
760	शीशम	90	
761	केसिया	90	
762	केसिया	48	
763	केसिया	110	
764	केसिया	40	
765	बबूल	110	
766	केसिया	100	
767	केसिया	96	
768	केसिया	60	
769	केसिया	76	
770	केसिया	78	
771	केसिया	90	
772	केसिया	110	
773	केसिया	110	
774	शीशम	76	
775	केसिया	78	
776	केसिया	70	
777	केसिया	90	
778	केसिया	110	
779	केसिया	120	
780	केसिया	100	
781	केसिया	86	


28

सुधी ममता ब्रम्ह सुधी नारायण ब्रम्ह  
 सराफा सधान अपीसहायक उपनिर्देशक  
 नगर निगम, मांझल नगर निगम, महाराष्ट्र

810	बबूल	118	1433
811	बबूल	116	
812	बबूल	100	
813	करंज	46	
814	करंज	148	
815	बबूल	180	
816	बबूल	160	
817	गुलमोहर	120	
818	गुलमोहर	120	

### RHS


Sr.No.	TreeLocalName	Girth(cm)	Remark
1	पलटाफार्म	76	
2	पलटाफार्म	74	
3	पलटाफार्म	72	
4	सेमल	106	
5	पलटाफार्म	150	
6	पलटाफार्म	74	
7	पलटाफार्म	68	
8	बबूल	110	
9	पलटाफार्म	60	
10	शीशम	64	
11	नीम	60	
12	शीशम	44	
13	शीशम	90	
14	शीशम	76	
15	कनेर	38	
16	िचरोल	30	
17	सेमल	44	


  
 सुश्री ममता ब्रम्हें सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक, नगर विद्यालय, नांघूर  
 नगर विद्यालय, नांघूर नगर विद्यालय, नांघूर



32

46	कनेर	1434	
47	कनेर	52	
48	कनेर	38	
49	शीशम	78	
50	चिरोल	44	
51	शीशम	80	
52	शीशम	64	
53	शीशम	64	
54	चिरोल	78	
55	जंगलजलेबी	126	
56	कनेर	40	
57	बबूल	110	
58	कनेर	30	
59	कनेर	40	
60	कनेर	30	
61	बबूल	80	
62	बबूल	128	
63	शीशम	64	
64	खाकर	30	
65	शीशम	36	
66	शीशम	40	
67	बबूल	102	
68	खाकर	62	
69	शीशम	36	
70	बबूल	124	
71	बबूल	1000	
72	शीशम	58	
73	शीशम	88	


 सुश्री ममता बन्धे  
 सहायक उपजान अधीक्षक  
 नगर निगम, सोपाल


 सुश्री ममता बन्धे  
 सहायक उपजान अधीक्षक  
 नगर निगम, सोपाल

74	शीशम	1435	
75	करंज	40	
76	शीशम	66	
77	करंज	44	
78	करंज	30	
79	शीशम	30	
80	शीशम	96	
81	शीशम	42	
82	करंज	36	
83	करंज	38	
84	करंज	44	
85	करंज	46	
86	शीशम	100	
87	शीशम	90	
88	शीशम	40	
89	करंज	36	
90	शीशम	70	
91	मुनगा	32	
92	करंज	122	
93	नीम	200	
94	पाखर	30	
95	करंज	32	
96	करंज	34	
97	करंज	34	
98	करंज	96	
99	शीशम	50	
100	शीशम	62	
101	शीशम	74	


  
 सुश्री ममता बन्धे  
 सहायक सहाय अधीक्षक  
 नगर नियम, भोपाळ  
 सुश्री ममता बन्धे  
 सहायक सहाय अधीक्षक  
 नगर नियम, भोपाळ

102	शीशम	1436	
103	करंज	54	
104	करंज	82	
105	करंज	42	
106	करंज	40	
107	करंज	36	
108	करंज	32	
109	शीशम	52	
110	शीशम	52	
111	शीशम	60	
112	करंज	52	
113	शीशम	60	
114	करंज	36	
115	शीशम	124	
116	शीशम	46	
117	करंज	30	
118	करंज	40	
119	शीशम	94	
120	नीम	44	
121	पलटाफार्म	110	
122	नीम	144	
123	शीशम	32	
124	कनेर	32	
125	करंज	34	
126	करंज	32	
127	करंज	32	
128	करंज	32	
129	बबूल	66	

34.

  
 सुश्री मंगला ब...  
 सहायक सचिव आर्थिक  
 नगर निगम, भाबुल

  
 सुश्री मंगला ब...  
 सहायक सचिव आर्थिक  
 नगर निगम, भाबुल

130	नीम	1437	
131	नीम	36	
132	नीम	36	
133	नीम	32	
134	नीम	34	
135	नीम	58	
136	बबूल	80	
137	नीम	34	
138	नीम	30	
139	नीम	42	
140	नीम	46	
141	कनेर	64	
142	नीम	34	
143	नीम	30	
144	नीम	72	
145	नीम	56	
146	नीम	60	
147	करंज	66	
148	करंज	64	
149	केसिया	44	
150	करंज	82	
151	केसिया	90	
152	केसिया	94	
153	केसिया	44	
154	केसिया	64	
155	नीम	42	
156	बबूल	110	
157	बबूल	112	


  
 सुश्री गमता बन्ह  
 सहायक सज्जन अधीनक  
 नगर निगम, भापाल  
 सुश्री गमता बन्ह  
 सहायक सज्जन अधीनक  
 नगर निगम, भापाल

158	केसिया	1438	
159	केसिया	70	
160	बबूल	84	
161	नीम	94	
162	िशरस	46	
163	नीम	66	
164	बहेडा	80	
165	नीम	50	
166	नीम	60	
167	सेमल	36	
168	बबूल	54	
169	खाकर	68	
170	कनेर	34	
171	कनेर	40	
172	सतपरणी	116	
173	बबूल	78	
174	बबूल	136	
175	कनेर	36	
176	बबूल	66	
177	कनेर	36	
178	बबूल	108	
179	कनेर	52	
180	कनेर	38	
181	सप्तपर्णी	72	
182	कचनार	50	
183	कनेर	44	
184	नीम	42	
185	सप्तपर्णी	52	

36

MS b

MS b

सुश्री अमला ब्रह्म  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
मध्य विभाग, कोलकाता

186	सप्तपर्णी	1439	
187	सप्तपर्णी	170	
188	करंज	114	
189	शिरस	350	
190	बबूल	144	
191	शीशम	114	
192	बबूल	90	
193	बबूल	110	
194	शीशम	64	
195	बबूल	114	
196	नीम	68	
197	सप्तपर्णी	64	
198	शीशम	100	
199	नीम	46	
200	शीशम	76	
201	नीम	98	
202	बबूल	46	
203	शीशम	46	
204	सेमल	90	
205	शीशम	50	
206	शीशम	60	
207	शीशम	48	
208	बबूल	120	
209	सतपरणी	66	
210	शिरस	70	
211	शिरस	70	
212	शिरस	108	
213	नीम	50	

  
 सुश्री ममता ब्रुन्धें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 राज्य कृषि विद्यापीठ, सोमपाल

  
 सुश्री ममता ब्रुन्धें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 राज्य कृषि विद्यापीठ, सोमपाल

214	चिरोल	1440	
215	खाकर	112	
216	नीम	166	
217	नीम	48	
218	नीम	48	
219	नीम	58	
220	चिरोल	96	
221	नीम	138	
222	नीम	72	
223	नीम	104	
224	शीशम	80	
225	पाम	210	
226	नीम	160	
227	केसिया	90	
228	केसिया	80	
229	केसिया	92	
230	केसिया	74	
231	पीपल	90	
232	करंज	108	
233	करंज	110	
234	करंज	106	
235	करंज	90	
236	बबूल	90	
237	कनेर	70	
238	कनेर	48	
239	बबूल	96	
240	करंज	42	
241	शीशम	60	

सुश्री मणता ब  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, माधुल


सुश्री मणता ब  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, माधुल


242	बबूल	1441	
243	करंज	76	
244	करंज	62	
245	केसिया	70	
246	शीशम	64	
247	कनेर	32	
248	बबूल	96	
249	बबूल	52	
250	केसिया	108	
251	बबूल	50	
252	कनेर	34	
253	कनेर	32	
254	केसिया	66	
255	बबूल	46	
256	नीम	44	
257	शीशम	46	
258	शीशम	60	
259	खाकर	30	
260	केसिया	30	
261	कनेर	30	
262	केसिया	40	
263	शीशम	50	
264	कनेर	54	
265	कनेर	30	
266	कनेर	30	
267	कनेर	40	
268	कनेर	40	
269	कनेर	42	

  
 सश्री गणता ब्रम्हें  
 सहायक प्रधान अधीक्षक  
 गणर विद्या, भांणुल


  
 सहायक प्रधान अधीक्षक  
 गणर विद्या, भांणुल

270	बबूल	1442	
271	बबूल	50	
272	बबूल	70	
273	करंज	50	
274	करंज	60	
275	करंज	50	
276	करंज	30	
277	बबूल	50	
278	शीशम	80	
279	बबूल	70	
280	बबूल	80	
281	बबूल	100	
282	बबूल	46	
283	बबूल	92	
284	खाकर	30	
285	बबूल	40	
286	शीशम	46	
287	शीशम	96	
288	बबूल	92	
289	प्रोसापीस	90	
290	कचनार	44	
291	शीशम	90	
292	कनेर	30	
293	जंगलजलेबी	32	
294	कनेर	40	
295	कचनार	70	
296	कनेर	48	
297	कचनार	60	

  
 सुश्री ममता वर्मा  
 सहायक अध्यापिका  
 चण्डिका विभाग, भोपाल

  
 सुश्री ममता वर्मा  
 सहायक अध्यापिका  
 चण्डिका विभाग, भोपाल

298	शीशम	1443	
299	कनेर	50	
300	कनेर	40	
301	कनेर	72	
302	शीशम	90	
303	केसिया	52	
304	कचनार	80	
305	कनेर	102	
306	कनेर	84	
307	सेमल	44	
308	करंज	44	
309	करंज	30	
310	शीशम	50	
311	कचनार	40	
312	कचनार	42	
313	करंज	50	
314	केसिया	80	
315	सीताफल	30	
316	कटहल	56	
317	कटहल	50	
318	अशोक	56	
319	शीशम	30	
320	अशोक	78	
321	नीम	52	
322	आंवला	62	
323	अशोक	46	
324	मधुकामिन	44	
325	बादाम	64	


  
 सुश्री ममता बन्ध  
 सहायक प्रधान अधीक्षक  
 नगर निगम, थोपुल

  
 सुश्री ममता बन्ध  
 सहायक प्रधान अधीक्षक  
 नगर निगम, थोपुल

326	केसिया	1444	
327	केसिया	40	
328	शीशम	54	
329	कचनार	46	
330	केसिया	42	
331	कनेर	32	
332	केसिया	32	
333	केसिया	30	
334	प्रोसोपीस	78	
335	बबूल	76	
336	करंज	36	
337	करंज	40	
338	करंज	32	
339	करंज	58	
340	कनेर	48	
341	बबूल	86	
342	बबूल	82	
343	प्रोसोपीस	34	
344	कनेर	78	
345	कचनार	60	
346	बबूल	84	
347	प्रोसोपीस	106	
348	प्रोसोपीस	90	
349	बबूल	50	
350	कनेर	30	
351	बबूल	70	
352	प्रोसोपीस	80	
353	प्रोसोपीस	150	

(42)


  
 सुश्री ममता ग्रन्थ  
 शा. के. राजन आर्षिक  
 नगर निगम, भापुल

  
 नगर निगम, भापुल


354	बबूल	1445	
355	कनेर	76	
356	कनेर	108	
357	शीशम	40	
358	बबूल	50	
359	बबूल	40	
360	कनेर	40	
361	बबूल	86	
362	बबूल	68	
363	बबूल	96	
364	प्रोसोपीस	90	
365	बबूल	130	
366	कनेर	100	
367	कनेर	40	
368	शीशम	94	
369	प्रोसोपीस	40	
370	बबूल	40	
371	केसिया	90	
372	कनेर	80	
373	करंज	30	
374	पल्टाफार्म	90	
375	पल्टाफार्म	42	
376	करंज	30	
377	केसिया	36	
378	प्रोसोपीस	40	
379	पल्टाफार्म	60	
380	प्रोसोपीस	66	
381	बबूल	30	

42

  
 सुश्री ममता प्रधे  
 सहायक उपाय अधीक्षक  
 २००० विद्या भवन

  
 सुश्री ममता प्रधे  
 सहायक उपाय अधीक्षक  
 २००० विद्या भवन

382	करंज	1446	
383	कचनार	60	
384	शीशम	100	
385	बबूल	90	
386	कनेर	52	
387	शीशम	86	
388	कनेर	56	
389	बबूल	56	
390	बबूल	78	
391	बबूल	74	
392	पल्टाफार्म	80	
393	कनेर	36	
394	कनेर	38	
395	पल्टाफार्म	78	
396	पल्टाफार्म	46	
397	बबूल	36	
398	बबूल	54	
399	कनेर	34	
400	बबूल	80	
401	बबूल	42	
402	प्रोसोपीस	30	
403	प्रोसोपीस	138	
404	प्रोसोपीस	40	
405	बबूल	80	
406	पल्टाफार्म	74	
407	पल्टाफार्म	74	
408	शिरस	40	
409	करंज	36	




  
 सुश्री गमला ब्रह्म  
 सहित, ए. ए. एन. राष्ट्रीयक  
 नगर विद्यालय, सोपल

410	कचनार	1447	
411	लसोडा	52	
412	पल्टाफार्म	70	
413	पल्टाफार्म	86	
414	पल्टाफार्म	76	
415	शीशम	32	
416	बबूल	62	
417	प्रोसोपीस	66	
418	कनेर	48	
419	पल्टाफार्म	48	
420	पल्टाफार्म	40	
421	पल्टाफार्म	108	
422	बबूल	86	
423	प्रोसोपीस	80	
424	कनेर	40	
425	कनेर	40	
426	बबूल	62	
427	बबूल	56	
428	शिरस	80	
429	शिरस	120	
430	बबूल	66	
431	कनेर	38	
432	बबूल	66	
433	बबूल	64	
434	बबूल	82	
435	कनेर	40	
436	पल्टाफार्म	50	
437	बबूल	80	

45


  
 सुश्री भमता ब्राह्मण  
 सहायक सभाम अजीतक

438	बबूल	1448	
439	प्रोसोपीस	30	
440	बबूल	66	
441	कनेर	36	
442	केसिया	54	
443	शीशम	90	
444	शिरस	140	
445	शिरस	80	
446	पल्टाफार्म	80	
447	पल्टाफार्म	60	
448	मलेशिया	44	
449	केसिया	80	
450	केसिया	50	
451	केसिया	70	
452	कनेर	32	
453	केसिया	72	
454	केसिया	64	
455	केसिया	66	
456	कनेर	34	
457	कनेर	36	
458	केसिया	46	
459	कनेर	30	
460	कनेर	30	
461	खाकर	30	
462	केसिया	60	
463	शीशम	60	
464	केसिया	62	
465	बबूल	94	


  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक उपजान अधीक्षक  
 राज्य विद्यालय

466	खाकर	1449	
467	केसिया	60	
468	करंज	34	
469	कनेर	32	
470	कनेर	38	
471	बबूल	100	
472	केसिया	76	
473	बबूल	100	
474	कनेर	36	
475	केसिया	72	
476	केसिया	60	
477	बैर	58	
478	कनेर	30	
479	कनेर	40	
480	बबूल	60	
481	करंज	44	
482	करंज	64	
483	करंज	36	
484	प्रोसापीस	50	
485	केसिया	64	
486	प्रोसापीस	40	
487	प्रोसापीस	46	
488	केसिया	30	
489	खाकर	72	
490	शीशम	82	
491	करंज	106	
492	करंज	46	
493	करंज	60	

(47)

  
 सुशी ममता ब्रह्म  
 सहायक सचिव अधीनस्थ  
 नगर निगम, भापाल

  
 सुशी ममता ब्रह्म  
 सहायक सचिव अधीनस्थ  
 नगर निगम, भापाल


494	करंज	1450	
495	केसिया	54	
496	बबूल	102	
497	बबूल	104	
498	बबूल	48	
499	बबूल	80	
500	कनेर	32	
501	बबूल	36	
502	बबूल	76	
503	बबूल	56	
504	बबूल	134	
505	शीशम	70	
506	करंज	30	
507	करंज	32	
508	करंज	32	
509	बबूल	150	
510	शीशम	76	
511	शीशम	62	
512	शीशम	86	
513	शीशम	36	
514	प्रोसापीस	32	
515	कनेर	90	
516	शीशम	60	
517	कनेर	32	
518	कनेर	34	
519	कनेर	100	
520	बबूल	50	
521	कनेर	96	

46


  
 सुश्री मंगला वन्हें  
 सहायक टैक्स अधिकारी  
 नगर निगम, माधुल

522	शीशम	1451	
523	कनेर	34	
524	कनेर	30	
525	बबूल	80	
526	बबूल	40	
527	कनेर	30	
528	कनेर	36	
529	कनेर	40	
530	केसिया	46	
531	केसिया	30	
532	नीम	66	
533	नीम	62	
534	जंगलजलेबी	82	
535	गुलमोहर	92	
536	कदम	66	
537	बबूल	60	
538	नीम	72	
539	बरगद	90	
540	शीशम	150	
541	शीशम	104	
542	गुलमोहर	96	
543	गुलमोहर	88	
544	केसिया	90	
545	गुलमोहर	72	
546	गुलमोहर	96	
547	गुलमोहर	96	
548	गुलमोहर	86	
549	गुलमोहर	74	

(49)


  
 सुशी मगर, ब्रम्ह  
 स. क. रमान अधीक्षक  
 न. र. मगर, मोफुल



550	गुलमोहर	1452	
551	गुलमोहर	98	
552	पीपल	120	
553	नीम	112	
554	मुनगा	78	
555	पीपल	96	
556	कदम	114	
557	सतपरणी	44	
558	पीपल	50	
559	कदम	84	
560	सतपरणी	140	
561	कदम	94	
562	कदम	74	
563	चिरोल	128	
564	प्रोसोपीस	78	
565	बबूल	98	
566	बबूल	80	
567	बबूल	40	
568	बबूल	82	
569	कनेर	44	
570	नीम	38	
571	नीम	38	
572	शीशम	108	
573	बबूल	100	
574	बबूल	40	
575	बबूल	30	
576	शीशम	62	
577	लसोड़ा	60	

(50)

*ms b* *ms b*

सुश्री ममता चन्हे  
 सततक सततक अधीक्षक  
 सततक विभाग, सोपान

578	शीशम	1453	
579	शीशम	106	
580	शीशम	80	
581	बबूल	66	
582	बबूल	70	
583	शीशम	56	
584	बबूल	72	
585	बबूल	90	
586	बबूल	96	
587	प्रोसोपीस	80	
588	प्रोसोपीस	88	
589	सतपरणी	60	
590	शीशम	70	
591	शीशम	120	
592	जामुन	74	
593	शीशम	78	
594	पल्टाफार्म	54	
595	पल्टाफार्म	62	
596	पल्टाफार्म	64	
597	पल्टाफार्म	58	
598	प्रोसोपीस	52	
599	केसिया	74	
600	पल्टाफार्म	62	
601	केसिया	102	
602	पल्टाफार्म	126	
603	केसिया	62	
604	प्रोसोपीस	54	
605	प्रोसोपीस	56	


  
 सुश्री गमता बाई  
 सहायक उपाय अधीक्षक  
 नगर निगम, सोपुत

606	बैर	1454	
607	प्रोसोपीस	44	
608	प्रोसोपीस	66	
609	बबूल	70	
610	बबूल	64	
611	बबूल	90	
612	बबूल	90	
613	बबूल	58	
614	शीशम	42	
615	शीशम	88	
616	बबूल	98	
617	बबूल	50	
618	केसिया	92	
619	पल्टाफार्म	160	
620	नीम	170	
621	कनेर	34	
622	पल्टाफार्म	36	
623	पीपल	300	
624	शीशम	120	
625	बबूल	90	
626	जंगलजलेबी	42	
627	चादनी	46	
628	शीशम	90	
629	केसिया	50	
630	नीम	50	
631	केसिया	70	
632	शीशम	72	
633	बबूल	50	


(52)

  
 सुश्री ममता ग्रन्थें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर निगम, सोपुल

  
 नगर निगम, सोपुल

634	बबूल	1455	
635	शीशम	180	
636	बबूल	150	
637	केसिया	140	
638	जंगलजलेबी	90	
639	केसिया	60	
640	पल्टाफार्म	170	
641	बैर	70	
642	पल्टाफार्म	160	
643	जामुन	96	
644	पल्टाफार्म	116	
645	पल्टाफार्म	130	
646	नीम	80	
647	पल्टाफार्म	70	
648	पल्टाफार्म	100	
649	पीपल	190	
650	मुनगा	40	
651	अमरूद	50	
652	पल्टाफार्म	56	
653	पल्टाफार्म	114	
654	मुनगा	80	
655	मुनगा	86	
656	बैर	36	
657	बैर	40	
658	पल्टाफार्म	140	
659	शीशम	60	
660	नीम	96	
661	नीम	60	

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर विद्यालय, भादवा

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक उद्यान अधीक्षक  
 नगर विद्यालय, भादवा



(54)

662	केसिया	1456	
663	केसिया	100	
664	केसिया	60	
665	केसिया	76	
666	केसिया	46	
667	केसिया	90	
668	केसिया	66	
669	पल्टाफार्म	166	
670	पल्टाफार्म	144	
671	शीशम	46	
672	शीशम	56	
673	केसिया	98	
674	शीशम	46	
675	शीशम	58	
676	केसिया	40	
677	शीशम	110	
678	केसिया	114	
679	बबूल	100	
680	केसिया	40	
681	केसिया	70	
682	केसिया	86	
683	केसिया	110	
684	केसिया	116	
685	केसिया	96	
686	शीशम	126	
687	बबूल	76	
688	केसिया	48	
689	केसिया	56	

  
 सुश्री ममता ब्रम्हें  
 सहायक प्रधान अधीक्षक  
 नगर निगम पोखरा


35

		1457	
690	केसिया	86	
691	केसिया	58	
692	बबूल	86	
693	बबूल	70	
694	बबूल	66	
695	केसिया	42	
696	केसिया	96	
697	बबूल	60	
698	केसिया	46	
699	केसिया	50	
700	केसिया	70	
701	बबूल	110	
702	केसिया	98	
703	केसिया	90	
704	बबूल	50	
705	बबूल	76	
706	केसिया	100	
707	केसिया	40	
708	केसिया	66	
709	केसिया	46	
710	शीशम	70	
711	केसिया	56	
712	केसिया	110	
713	शीशम	86	
714	केसिया	98	
715	शीशम	90	
716	केसिया	118	
717	केसिया	98	

   
सुश्री ममता ब्रन्हे  
सहायक उद्यान अजीमक  
जयपुर जिला, राजस्थान

(56)


718	बबूल	1458	
719	शीशम	82	
720	बबूल	110	
721	बबूल	72	
722	शीशम	56	
723	केसिया	118	
724	बबूल	100	
725	चिरोल	98	
726	केसिया	60	
727	बबूल	76	
728	केसिया	78	
729	केसिया	72	
730	केसिया	76	
731	बबूल	100	
732	करंज	72	
733	बबूल	70	
734	शीशम	72	
735	शीशम	60	
736	बबूल	40	
737	केसिया	86	
738	बबूल	110	
739	केसिया	96	
740	केसिया	92	
741	केसिया	100	
742	केसिया	76	
743	बबूल	90	
744	बबूल	56	
745	केसिया	66	



  
 सुश्री गमता प्रमोद  
 सहायक सचिव अजीवक  
 राज्य विद्यालय प्रोद्योग

746	बबूल	1459	
747	केसिया	116	
748	बबूल	80	
749	शीशम	60	
750	शीशम	90	
751	करंज	100	

57

<b>Total Cutting LHS</b>	<b>818</b>
<b>Total Cutting RHS</b>	<b>751</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1569</b>

  
 सुश्री मनता प्रधुन  
 सहायक जवान अधीक्षक  
 नगर निगम, मोरपुल

  
 सहायक जवान अधीक्षक  
 नगर निगम, मोरपुल



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल  
उद्यान-विभाग

15/12/25

क्रमांक ...../उ.वि./2025

भापाल,दिनांक / /2025

प्रति,

सुश्री ममता ग्रन्हे,  
प्रभारी वृक्ष कटाई  
नगर-निगम,भोपाल।

विषय - आशाराम तिराहे से रत्नागिरी 06 सर्विस रोड भोपाल मे कुल-7871 वृक्षों की सःशुल्क कटाई अनुमति विषयक।  
संदर्भ:- श्री हिमांशु पांडेय प्रबंधक (तकनीकी) एन.एच.ए.आई. का पत्र क 29159 दिनांक 16.12.25

उपरोक्त विषयांतर्गत में लेख है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण भोपाल आवेदन प्रस्तुत कर नगरीय क्षेत्रान्तर्गत म0प्र0 आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तक 06 लेन सडक सर्विस रोड सहित निर्माण कार्य मे बाधक कुल-7871 वृक्षों की सःशुल्क कटाई करवाने हेतु निगम प्रशासन से अनुमति चाही गई है। उक्त वृक्ष कटाई/छंटाई आदेश म0.प्र0 वृक्षों का परिरक्षण(नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 एवं 2002 के दिन्दु क्र.-6 मे वाणिज्य प्रावधान अंतर्गत तथा माननीय न्यायालय एन. जी.टी. भोपाल द्वारा पारित निर्णय के पालन मे High Level Centrally Empowered Committee द्वारा नियमानुसार सशर्त अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त कम मे एन.एच.ए.आई द्वारा उक्त स्थल पर लगे कुल-7871 वृक्षों की सःशुल्क कटाई करवाने हेतु निर्धारित शुल्क राशि रु-7871X6000=4,72,26,000/-निगम कांपालय में दिनांक 16.12.2025 को ई-पेमेंट के माध्यम से जमा कराई जा चुकी है। अतः उपरोक्त स्थल पर लगे कुल-7871 वृक्षों की कटाई कराये तथा प्राप्त लकड़ी निगम स्टोर में जमा करावे।  
(CEC द्वारा अनुशंसित)

17/12/25

आयुक्त  
(वृक्ष अधिकारी)

नगर निगम भोपाल

भापाल,दिनांक 17/12/2025

पृष्ठा.क्रमांक 569 / उ.वि. / 2025  
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव म.प्र. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त नगरीय प्रशासन भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. सभागायुक्त भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वनमण्डलाधिकारी पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. अपर आयुक्त उद्यान/वित्त नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. प्रोजेक्ट डायरेक्टर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के कम मे सूचनार्थ एवं CEC द्वारा जारी निर्देशों के कम मे पालनार्थ।
8. सहायक उद्यान अधीक्षक/एच. संबंधित जोन सुपरवाइजर की ओर पलानार्थ।
10. श्री राकेश स्टार कीपर कटाई/छंटाई से प्राप्त लकड़ी का विवरण आवक पंजी में दर्ज करने हेतु पालनार्थ।

आयुक्त  
(वृक्ष अधिकारी)

नगर निगम भोपाल

क्र	दिनांक	समय	वाहन का नंबर	स्थान का नाम जहाँ से लकड़ा आया
1	20-12-25	7:25 AM	MP04-DB-0148	मोथल हास्पिटल के पास से
2	20-12-25	11:13 AM	MP04-DB-0748	पीपुल्स मॉल
3	21-12-25	7:30 AM	MP04-DB-0748	पीपुल्स मॉल
4	21-12-25	1:30 PM	MP04-DB-0748	पीपुल्स मॉल
5	21-12-25	2:20 PM	MP04-DB-1529	पीपुल्स मॉल
6	21-12-25	2:45 PM	MP04-DB-2102	पीपुल्स मॉल
7	21-12-25	5:15 PM	MP04-DB-1529	पीपुल्स मॉल
8	22-12-25	6:30 AM	MP04-DB-0748	मोथल हास्पिटल
9	22-12-25	11:15 AM	MP04-DB-0748	5 <sup>th</sup> म रोड (पीपुल्स मॉल)
10	23-12-25	7:40 AM	MP04-DB-0748	आशा राम चौराहा
11	23-12-25	1:05 PM	MP04-DB-0748	आशा राम चौराहा से
12	23-12-25	1:25 PM	MP04-DB-0594	जैन-17 पीपुल्स मॉल से
13	23-12-25	4:45 PM	MP04-DB-0594	जैन-17 पीपुल्स मॉल से
14	24-12-25	6:55 AM	MP04-DB-0748	आशा राम चौराहा से
15	24-12-25	12:26 PM	MP04-DB-0748	आशा राम चौराहा से

MO

राज्यक उद्यान अधिकारी  
नगर निगम, मोथल

22/12/25

वर्ग	लक्ष्मी का अंगुण	लक्ष्मी का नाम	भावांक	श्रावण	दिनांक
वर्ग	2 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	बिनाम
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	राजेश मल्लिक	पशासन के बाहर
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	करी
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	नाइ
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	नाइ
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	आसिफ	7000911673	मो. अजय	लक्ष्मी
वर्ग	10 फ़ीट 2 इंच	मनोज	9754203427	हरीश	वजन
वर्ग	6 फ़ीट 2 इंच	आसिफ	7000911673	राजेश मल्लिक	व
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	हरीश	पूजा
वर्ग	6 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	राजेश मल्लिक	की
वर्ग	6 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	राजेश मल्लिक	शेरिया
वर्ग	2 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	का
वर्ग	3 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	उल्लेख
मिटर	5 फ़ीट 2 इंच	रोलीम	9301853925	राजेश मल्लिक	नाइ
मिटर	5 फ़ीट 2 इंच	रोलीम	9301853925	राजेश मल्लिक	वजन
वर्ग	6 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	मो. अजय	लक्ष्मी
वर्ग	5 फ़ीट 2 इंच	इमरान	8889956986	राजेश मल्लिक	अनुमान

मुख्य शिक्षक  
नगर शिक्षण, माधुल





Book No. 481 P.O.L. INDENT No. 72



**Municipal Corporation Bhopal**  
**(GAD/Garden/Pool Officer)**

In charge  
Petrol Pump  
Please issue the following :

Petrol ..... 2

S.D. 27 M. Oil 2

Vehicle No. MP04LC9722

Name of Driver ..... मनीष

Date 19/12/25

Signature of Indenting Officer

(Name ..... मनीष मन्ने)

(Designation ..... उद्यान अधीक्षक

मम, भाधुल

सुनी मन्ने  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भाधुल

481

P.O.L. INDENT No. 73.

Book No.



# Municipal Corporation Bhopal (GAD/Garden/Pool Officer)

To,

Incharge

Petrol Pump

Please issue the following :

Petrol .....

H.S.D. 27 Lt

M. Oil 5

For Vehicle No. ....

MP04LC9722

Name of Driver .....

Handwritten name

Date

21/12/25

Signature of Indenting Officer

(Name .....

(Designation .....

Handwritten initials

Official stamp

Book No. 481 P.O.L. INDENT No. 74



Municipal Corporation Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)

B

In charge  
Control Pump  
Please issue the following :

Control .....  
S.D. 27 Lt M. Oil .....  
r Vehicle No. MP04LC9722  
Name of Driver .....  
HINDU

23/12/25

Signature of Indenting Officer

(Name सुश्री सुश्री सुश्री)  
(Designation सहायक गार्ड/पूल ऑफिसर)  
नगर निगम, भोपाल

सुश्री सुश्री सुश्री  
सहायक गार्ड/पूल ऑफिसर  
नगर निगम, भोपाल

40 100

Book No.

P.O.L. INDENT No.

39



542  
Municipal Corporation, Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)

To,  
Incharge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel ..... 35 M. Ltr.

M. Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... 2 Ltr.

For Vehicle No. ....

Milometer Reading ..... 14804 P/B 0758

Name of Driver .....  
S. K. Singh


Date .....  
22/11/95

Signature .....  
M. B. b

Name .....  
सुश्री ममता बर्मन

Post .....  
सहायक उद्यान अधीक्षक

नगर निगम, भोपाल  
Municipal Corporation, Bhopal

  
सुश्री ममता बर्मन  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Book No.

P.O.L. INDENT No. 38



542  
Municipal Corporation, Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)

To,  
Incharge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel ..... 35 ..... Ltr.

M. Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

For Vehicle No. ....

Milometer Reading 14 P 04 P B 0758

Name of Driver .....

Date .....

20/11/25

Signature .....

Name सुश्री ममता ब्रम्हें

Post सहायक उद्यान अधीक्षक

नगर निगम, भायपाल  
Municipal Corporation, Bhopal

सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भायपाल

1470

68

Book No.

P.O.L. INDENT No.

542

37



**Municipal Corporation, Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)**

To,  
Incharge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel ..... 38.000 ..... Ltr.

M. Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

For Vehicle No. ....

Milometer Reading .....

Name of Driver ..... DB0758

Date ..... 18/12/25

Signature .....

Name ..... सुश्री ममता बंधे

Post ..... सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Municipal Corporation, Bhopal

सुश्री ममता बंधे  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Book No.

302

P.O.L. INDENT No.

17



**Municipal Corporation, Bhopal**  
(GAD/Garden/Pool Officer)

Charge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel ..... 40 + Ltr.

Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

Vehicle No. .... DB 0748

Odometer Reading ..... 5112

Name of Driver .....

Date ..... 28/12/28

Signature M. B. B.

Name सुश्री ममता इम्हें

Post सहायक उद्यान अधीक्षक

Municipal Corporation, Bhopal

M. B. B.  
सुश्री ममता इम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Book No.

302

P.O.L. INDENT No.

16



**Municipal Corporation, Bhopal**  
**(GAD/Garden/Pool Officer)**

Charge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel 40 Ltr.

Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

Vehicle No. DB0748

meter Reading .....

Name of Driver S. M. Singh

23/12/25

Signature [Handwritten Signature]

Name सुश्री ममता ब्रम्ह

Post सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Municipal Corporation, Bhopal

[Handwritten Signature]  
सुश्री ममता ब्रम्ह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Book No.

302

P.O.L. INDENT No.

15



Municipal Corporation, Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)

Charge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel 40 (30 Bn) Ltr.

Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

Vehicle No. 0748

odometer Reading .....

Name of Driver SMRIT

Date 21/12/25

Signature [Handwritten Signature]

Name सुश्री ममता ब्रम्ह

Post सहायक उद्यान अधीक्षक

नगर निगम, भोपाल  
Municipal Corporation, Bhopal

[Handwritten Signature]  
सुश्री ममता ब्रम्ह  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल

Bo  
To  
In  
D  
P

302

P.O.L. INDENT No.

14

Order No.

302



Municipal Corporation, Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)

Boo

Charge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... Ltr. Diesel ..... 40 (S) Ltr.  
Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

Vehicle No. .... DTS 0748

Kilometer Reading .....

Name of Driver ..... सुभराम

Date ..... 19/12/28

Signature .....

Name ..... सुश्री ममता ब्रम्हें

Post ..... सहायक उद्यान अधीक्षक

Municipal Corporation, Bhopal

To:  
In:  
Di:  
Pl:  
P  
M  
F

सुश्री ममता ब्रम्हें  
सहायक उद्यान अधीक्षक  
नगर निगम, भोपाल



Book No.

373

P.O.L. INDENT No.

74



# Municipal Corporation, Bhopal (GAD/Garden/Pool Officer)

To,  
Incharge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... 800 Ltr. Diesel ..... 70 Ltr.

M. Oil ..... Ltr. Gear Oil ..... Ltr. Hyd./Oil ..... Ltr.

For Vehicle No. .... 281 0522

Milometer Reading .....

Name of Driver ..... अविनाश

Date ... 20/12/25

Signature ..... [Signature]

Name .....

Post .....

Municipal Corporation, Bhopal

[Signature]  
सुश्री ममता बरह  
सहायक उपायुक्त, नगरपालिका  
नगर निगम, भोपाल

Book No.

373

P.O.L. INDENT No.

75



Municipal Corporation, Bhopal  
(GAD/Garden/Pool Officer)

To,  
Incharge  
Diesel / Petrol Pump  
Please issue the following:

Petrol ..... 20 Ltr. Diesel ..... 5 Ltr.

M. Oil ..... 2 Ltr. Gear Oil ..... 3 Ltr. Hyd./Oil ..... 5 Ltr.

For Vehicle No. .... पृथ्वी कटर

Milometer Reading .....

Name of Driver .....


Date ..... 23/12/25 मलिक

Signature .....

Name .....

Post ..... सुश्री ममता ब्रम्हे


सहायक उद्यान अधीक्षक  
Municipal Corporation, Bhopal  
नगर निगम, भोपाल

  
सुश्री ममता ब्रम्हे  
सहायक उद्यान अधीक्षक

# दैनिक भास्कर

सच्ची बात, बेधड़क

देरा का नंबर 1 अद्यार



**अयोध्या बायपास: रोक के बावजूद चला आरा**

बुधवार दोपहर तक ये पेड़ काटे

यहां तो पेड़ हटाकर जैसे मैदान बना दिया

**7871 पेड़ कटने थे**

आसराम चौराहा से रत्नागिरि तिराहे तक 16 किमी लंबा 10 लेन मार्ग बनना है। पहले 9946 पेड़ कटने थे। बाद में सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई 5 मीटर से घटाकर 1.5 मीटर की तो संख्या 7871 रह गई। ये पेड़ 1980 से 2003 के बीच लगाए गए थे।

फोटो: शान बहदुर

**22 दिसंबर को ओपन कोर्ट में एनजीटी का आदेश- एक पेड़ नहीं कटेगा, फिर भी आदेश की कॉपी आने तक ढाई दिन में 1500 पेड़ काट डाले...**

**फिर एक-दूसरे पर डाली जिम्मेदारी NHA ने कहा- हमने नहीं, निगम ने काटे पेड़ निगम ने कहा- NHA की रिपोर्ट पर काटे पेड़**

## हमारी हरियाली के हत्यारे कौन?

भास्कर टीम | भोपाल

भोपाल में अयोध्या बायपास पर 10 लेन हाईवे बनाने के नाम पर जो हुआ, वह विकास नहीं बल्कि खुला पर्यावरणीय विनाश है। आसराम चौराहा से रत्नागिरि तिराहे तक 16 किमी लंबे रोड प्रोजेक्ट के लिए ऐसी जल्दबाजी दिखाई गई कि ढाई दिन में ही 45 साल पुराने 1500 से ज्यादा पेड़ काट डाले गए। यह सब तब हुआ, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) इस मामले की सुनवाई कर रहा था। पेड़ों की कटाई पर रोक थी, लेकिन नगर निगम और एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने इसकी परवाह तक नहीं की और हरियाली की बलि चढ़ा दी।

नगर निगम ने करीब 50 कर्मचारियों और बड़े-बड़े चेनसा मशीनों को मैदान में उतार दिया। 22 दिसंबर की सुबह से पेड़ कटाई शुरू हुई। दिन में भी और रात में भी। बुधवार दोपहर तक मशीनों

का शोर गूंजता रहा। हैरत की बात है कि 22 दिसंबर को एनजीटी ने एनएचएआई को आदेश दिया था कि काम जारी रखें लेकिन एक भी पेड़ न काटा जाए। सुनवाई ओपन कोर्ट में हुई। लेकिन आदेश की कॉपी अपलोड होने का बहाना कर ढाई दिन में 1500 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। इस हाईवे के लिए जो 8 हजार प्रस्तावित कटने थे, उनमें से 25% पेड़ काटे जा चुके हैं।

**बिना मार्किंग वाले पेड़ भी गिरे :** सबसे गंभीर बात यह है कि कई पेड़ ऐसे काट दिए गए, जिन पर कोई मार्किंग तक नहीं थी। कुछ पेड़ों पर लाल और पीले रंग से नंबर थे, कुछ पर सिर्फ पीली लाइन और कई पेड़ बिना किसी निशान के ही धराशायी कर दिए गए। नगर निगम यह तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि अलग-अलग तरह की मार्किंग क्यों की गई और बिना चिह्न वाले पेड़ किस आदेश पर काटे गए। -भोपाल फ्रंट पेज भी पढ़ें

**ये विकास योजना या हरियाली घोटाला?**

**NHA ने पेड़ काटने के लिए ₹4.80 करोड़ दिए, नए लगाने के लिए ₹20 करोड़ व 210 एकड़ जमीन मांगी**

एनएचएआई ने पेड़ कटाई के बदले नगर निगम को 4.80 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। इतना ही नहीं, नए पौधे लगाने के लिए शासन से 20 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं। दावा है कि 7871 पेड़ों के बदले दस गुना यानी करीब 80 हजार पौधे इंगूरिया खुद और झिरनिया में लगाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन 85 हेक्टेयर (210 एकड़) जमीन देगा। एनएचएआई यह भी कहता है कि वह पहले ही 10 एकड़ में 50 हजार पौधे मियावाकी तकनीक से रोप चुका है।

**इतनी जल्दबाजी : आदेश का इंतजार तक नहीं किया**

याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना के ककील हरप्रत सिंह गुप्ता बोले- ओपन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, इसके बावजूद इतने पेड़ काट दिए गए। इससे साफ है कि निर्माण एजेंसियों ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया। एनएचएआई के ककील मौजूद थे, फिर भी कटाई जारी रही, जबकि अंतरिम आदेश की अर्जी लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट भी पहले वैकल्पिक विकल्प तलाशने की बात कहता है, लेकिन सीईसी के मिनट्स में अल्टरनेटिव का कोई जिक्र नहीं है।

**फिर चालाकी भरे जवाब**

**आदेश आते ही कटाई रोक दी**

इंफावर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एनएचएआई ने नगर निगम से पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी। एनएचएआई ने जैसे ही 4.80 करोड़ रु. जमा कराए, 22 दिसंबर से पेड़ कटाई शुरू हुई। बुधवार को एनजीटी का आदेश मिलते ही कटाई रोक दी। -संस्कृति जैन, कमिश्नर नगर निगम

**सबकी मंजूरी के बाद ही काटे**

हमने मियावाकी तकनीक से 50 हजार पौधे लगाए हैं। नगर निगम के पाकों में भी पौधरोपण हो रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद 10 हजार की जगह 8 हजार पेड़ काटने का प्लान बनाया गया है, जिससे 2000 पेड़ बचाए जा रहे हैं। हाईवेवर कमेटी, जिसकी अध्यक्षता एसीएस नगरीय प्रशासन ने की, उसकी अनुमति ली जा चुकी है। -देवांश नुवल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

# सुनवाई के बीच एनएचएआई ने काटे 35 सौ से ज्यादा पेड़

**एनजीटी सख्त:** अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, मांगी जानकारी

जागरण संवाददाता, भोपाल। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा अयोध्या बायपास के चौड़ीकरण के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सेंट्रल जोन बेंच ने 8 जनवरी तक रोक लगा दी है। इस मामले में एनएचएआई ने बेंच की अवमानना भी की है, क्योंकि 22 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद पेड़ों की कटाई पर रोक थी, लेकिन 23 और 24 दिसंबर को 12 किमी लंबी सड़क पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हुए 3500 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए।

एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्टर ने यह कटाई 12 किमी लंबी गांधी नगर से मिनाल के गेट नंबर-4 तक की सड़क पर की है। अब केवल मिनाल गेट नंबर-4 से रत्नागिरी तक के पेड़ों को ही काटा जाना है। इस सड़क की लंबाई केवल 4 किमी है। एनएचएआई ने पेड़ों की कटाई के एवज में किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण (कटाई के एवज में विकसित वनक्षेत्र) के आंकड़ों की जानकारी भी अब तक



अयोध्या बायपास पर पेड़ों की कटाई का दृश्य।

## 16 किमी लंबी सड़क को किया जाना है 10 लेन

एनएचएआई शहर के अंदर स्थित 16 किमी सड़क को 10-लेन करने के लिए पेड़ काट रही है। इसमें करीब 8,000 से 12,000 पेड़ काटने का अनुमान है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 के नियमों और ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करते हुए पूरा किया जा रहा है। इस कारण इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि निर्माणाधीन एजेंसी ने काटे गए पेड़ों के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण कहाँ किया जाएगा। इसके आंकड़े व जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसे एनजीटी ने निर्देशों की गंभीर अवमानना माना है। दो दिनों तक चली पेड़ों की कटाई के बाद मुख्य याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना ने जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणा और

विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ के समक्ष कटाई पर रोक लगाने की मांग की। जिस पर सुनवाई करते हुए बेंच ने सड़क चौड़ीकरण के कार्य के दौरान पेड़ काटने पर रोक लगा दी है।

## इसलिए लगाई गई रोक

मामले में एनजीटी ने पाया है कि पेड़ों की कटाई के वैकल्पिक रास्तों और प्रतिपूरक वनीकरण पर विचार करने के लिए बनाई गई सेंट्रली एम्पावर्ड कमेटी की बैठक के नतीजे सार्वजनिक किए बिना ही एनएचएआई ने जल्दबाजी में पेड़ काट दिए। साथ ही एनएचएआई ने यह कटाई एनजीटी में चल रही सुनवाई के बीच की है। इस पर बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि कमेटी की बैठक के मिनट्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक परियोजना स्थल पर पेड़ों की कटाई पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी।

## ECOLOGICAL BLOW | Road widening exacts a heavy cost on Bhopal

# City loses over 60 crore litres of oxygen as 1,500 trees felled

Our Staff Reporter

BHOPAL

Bhopal has witnessed a severe environmental setback and lost over 60 crore litres of oxygen after the felling of more than 1,500 mature trees along the Ayodhya Bypass for a road-widening project undertaken by the National Highways Authority of India (NHAI). The trees, aged between 10 and 40 years, were planted in 1989 by the Capital Project Administration (CPA). Environmental experts estimate that their removal has resulted in a loss of over 60 crore litres of oxygen for the city.

Retired horticulture professor KS Tomar stated that an average 30-35-year-old tree produces more than 270 litres of oxygen per day.

Based on this, the felled trees were generating nearly 4.05 lakh litres of oxygen daily. On an annual basis, this translates to a loss of approximately 14.78 crore litres, with the cumulative loss over four years estimated at nearly 59 crore litres until compensatory plantations become effective.



"Chipko" protest held to save trees at Ayodhya Bypass, on Thursday



The trees, aged between 10 and 40 years, were planted in 1989 by CPA were chopped off

### Chipko protest held at Ayodhya Bypass

Despite an official stay order issued by the NGT on December 22, valid until January 8, residents allege that tree felling continued until December 24. This triggered strong public anger. On Thursday, environmentalists, children, elderly citizens, and local residents staged a Chipko-style protest at the Ayodhya Bypass, hugging trees and offering incense sticks in a symbolic farewell to those already cut.

Petitioner Nitin Saxena, environmentalists Dr Subhash C Pandey and Umashankar Tiwari alleged that continuing tree felling despite the NGT stay amounts to contempt of

court and environmental negligence. The city Congress also protested, warning that rising pollution could lead to serious health consequences. Former minister P.C. Sharma said development should not come at the cost of public health and environmental destruction.

### NGT hearing and NHAI's assurance

The issue was raised during a recent hearing of the National Green Tribunal (NGT). NHAI informed the tribunal that it has initiated a compensatory plantation plan under which 10 saplings will be planted for every tree cut. Around 81,000 saplings are proposed to be planted. NHAI assured the tribunal that the ecological damage would be offset within four years and fully compensated by 2029.

### Official speak

NHAI Project Director Devansh Nuwal stated that tree felling was stopped immediately after information about the stay order was received on December 24. But Bhopal Municipal Corporation (BMC) Commissioner and the city Tree Officer Sanskriti Jain maintained that no trees were cut after December 23.